बिहार सरकार

राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
सुरक्षित बचपन-विकसित समाज

unicef
for every child

Centre of Excellence
In Alternative Care, India
Safer and stronger families

पालक परिवार
के लिये हैंड बुक

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अल्टरनेटिव केयर द्वारा विकसित

फोटो क्रेडिट्स/स्रोत

सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन अल्टरनेटिव केयर (इंडिया)

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तिका में लिखे किसी भी अंश का बिना पूर्व अनुमति के नकल या इस्तेमाल न करें। इस पुस्तिका के किसी भी भाग को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन अल्टरनेटिव केयर (इंडिया) के लिखित अनुमति के बगैर किसी भी रूप में जैसे इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल तरीके या फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, या किसी भी सूचना संग्रहण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली हेतु पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है।

प्रकाशन वर्षः 2021

बिहार सरकार

unicef
for every child

Centre of Excellence
In Alternative Care, India
Safer and stronger families

पालक परिवार के लिये हैंड बुक

निदेशक की कलम से

विगत दो वर्षों में राज्य सरकार ने बाल संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए कई प्रयास प्रारम्भ किये है, जिनमे वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किये जा रहे प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैकल्पिक देखभाल को एक प्रमुख हस्तक्षेप के रूप में मान्यता देते हुए, समाज कल्याण विभाग ने UNICEF के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से इस क्षेत्र में कार्यरत एक्सपर्ट एजेंसी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अल्टरनेटिव केयर के माध्यम से परिवार–आधारित देखभाल में बच्चों की बेहतर देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रयास प्रारम्भ किया है। किशोर न्याय (बालकों के देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, बिहार किशोर न्याय (बालकों के देखभाल एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 तथा फोस्टर केयर, 2016 पर मॉडल दिशानिर्देश के परिधि में, समाज कल्याण विभाग ने पालक देखभाल के तहत बच्चे को लेने के इच्छुक कई भावी परिवारों की पहचान की है, साथ ही, औपचारिक पालक देखभाल कार्यक्रम के विनियमों के अनुसार आवेदनों की पड़ताल करके उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए पंजीत किया है।

बच्चे के बेहतर हित को सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पालक देखभाल व्यवस्था के तहत वो जिस परिवार में रहने जा रहा है, उस परिवार में उसका स्वागत हो ताकि बच्चे और परिवार में एक जुड़ाव पैदा हो सके। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी कि फोस्टर परिवारों को सन्दर्भ सामग्री प्रदान की जाय। इसी उद्देश्य से विभाग ने यूनिसेफ और CEAC के सहयोग से फोस्टर फैमिली हैंडबुक विकसित करने का निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हैंडबुक पालक परिवार के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा और उनकी क्षमताओं को मजबूत करेगा। साथ–साथ यह इस क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं या गैर–सरकारी संगठनों के ज्ञान को उन्नत करने के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा।

मैं इस हैंडबुक के प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तियों, विशेषकर UNICEF बिहार की बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती गार्गी साहा एवं CEAC की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती वसुंधरा को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साथ ही फोस्टर केयर कार्यक्रम से जुड़े सभी हितधारकों को अपनी शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ।

(राज कुमार)

संदेश यूनिसेफ

बच्चों के लिए अपने दिल और घरों के दरवाजे खोलने और पालक अभिभावक बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके इस निर्णय से एक जरूरतमंद बच्चे को परिवार मिलेगा और उनके सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के अनुच्छेद 20 के अनुसार उन बच्चों और युवाओं को, जो किन्ही कारणों से अपने जैवकीय परिवारों के साथ नहीं रह सकते हैं, उन्हें विशेष सुरक्षा और मदद प्राप्त करने का अधिकार है। भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार संकटग्रस्त बच्चों के लिए सहायता की व्यवस्था करते समय परिवार को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे पारिवारिक और सामुदायिक परिवेश में बच्चों का विकास हो सके।

इन बच्चों के लिए परिवार आधारित वैकल्पिक देखभाल की व्यवस्था हेतु सरकार प्रयासरत है। यूनिसेफ इस दिशा में लगातार पैरवी करता आ रहा है और इस व्यवस्था को स्थापित करने में सरकार को तकनीकी सहयोग भी देता आ रहा है। पिछले एक वर्ष के दौरान बिहार ने फॉस्टर केयर, जो परिवार–आधारित–वैकल्पिक–देखरेख का एक प्रकार है, की स्थापना करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य के चार जिलों में यूनिसेफ के सहयोग से फॉस्टर केयर को सुदृढ़ करने के लिए पायलट परियोजना चलायी जा रही है, जिसके तहत समुदाय में फॉस्टर केयर के बारे में जागरूकता के प्रसार से लेकर हितधारकों की क्षमतावर्धन तक, कई प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं।

इस क्रम में सेंटर फॉर एक्सलेंस इन अल्टरनेटिव केयर ने फॉस्टर अभिभावकों के लिए यह हैण्डबुक बनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य फॉस्टर अभिभावकों को महत्वपूर्ण संस्थागत नीतियों एवं प्रक्रियाओं के बारे में सभी आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराना है। साथ ही, अभिभावकों को कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों से अवगत कराना है। इससे आपको फॉस्टर बच्चे/युवा के साथ रहने की सहज व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी और आने वाली व्यावहारिक समस्याओं से निपटने एवं बच्चों के पुनर्वास की योजना बनाना के तरीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। यह हैंडबुक आपको जिला बाल संरक्षण इकाई एवं समान उद्देश्य पर कार्यरत अन्य संस्थाओं से प्रभावी संवाद बनाये रखने में और उनसे सहयोग प्राप्त करने में भी मदद करेगी।

फॉस्टर फैमिली हैंडबुक अपने तरह की पहली और अनूठी पुस्तिका है। आशा है कि आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। मेरा विश्वास है कि राज्य के चार जिलों से शुरू किये गए इस पायलट प्रोग्राम से देश भर के लिए एक फॉस्टर केयर का मानक स्थापित होगा। साथ ही, आप जैसे अन्य जागरूक, इच्छुक और सहृदय परिवार आगे आएंगे, और बच्चों को खुशहाल पारिवारिक माहौल में रहने के अधिकार को दिलाने में मदद करेंगे।

शुभकामनाओं सहित,
नफीसा बिंते शफीक
प्रमुख, यूनिसेफ बिहार

प्रस्तावना

प्रिय पालक माता–पिता,

पालक देखभाल या फोस्टर केयर के तहत बच्चे को पालना यकीनन जीवन बदलने वाला अनुभव होता है। इससे आप और आपका परिवार तो प्रभावित होते ही है, साथ ही उस पालक बच्चे के जीवन में भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो आपके देखभाल में रह रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हजारों बच्चें हैं जो अपने माता–पिता के बगैर हैं। उनमें से कई बच्चे कम उम्र में शोषण का शिकार हुए हैं या उन्होंने किसी न किसी प्रकार के आघात का अनुभव किया है।

ऐसे परिवार जो उनकी सुरक्षा, सहयोग और देखभाल के लिए तैयार हैं, में रखकर इन बच्चों को सुरक्षित और स्थिर वातावरण में विकसित होने का मौका दिया जाता है। बच्चे हमारा भविष्य हैं और एक बच्चे की फोस्टरिंग कर आप न केवल उस बच्चे का जीवन, बल्कि हमारे समाज की भावी पीढ़ी को भी सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस माध्यम से आपको अपने समुदाय के किसी ऐसे बच्चे की मदद करने का एक अवसर मिलता है जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। अन्य बच्चों की देखभाल के लिए अपने घरों के दरवाजे खोलना, आपके परिवार, समुदाय और समाज में एक दूसरे की मदद करने जैसे अच्छे मूल्यों को स्थापित करने में मदद कर सकता है।

सीईएसी का मानना है कि अगर पालक माता–पिता और बच्चे के बीच उचित संबंध बनाया जाए, तो बच्चा स्वतः आपके परिवार का एक अतिरिक्त सदस्य बन जाएगा। आपके द्वारा प्रदत्त देखभाल, सुरक्षा और सलाह बच्चे को यह महसूस कराने में मदद करेगी कि उनमें पूरी क्षमता है और वो समाज के एक सक्षम सदस्य बन जाएंगे।

हम समझते हैं कि पालक माता–पिता बनना आपके जीवन का एक बड़ा निर्णय है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस यात्रा में आप बहुत बार शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि एक पालक बच्चे की देखभाल में सहायता करने के लिए आपको कई एजेन्सीयों का सहयोग प्राप्त होगा। फोस्टरिंग के पूरे समय के दौरान आपकी सहायता के लिए बिहार समाज कल्याण विभाग और UNICEF और CEAC आपके साथ रहेंगे और आने वाले चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। और बच्चे की देखभाल करने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे।

यह हैंडबुक बिहार में चल रही फॉस्टर केयर प्रोजेक्ट के कड़ी में एक और कदम है। यह आपको उन सभी जानकारियों से अवगत कराने के उद्देश्य से तैयार की गयी है जो एक आपको पालक माता–पिता होने की अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आवश्यक होगी। यह पुस्तक आपको उस सारे कौशल और ज्ञान से लैस करेगी जो एक पालक माता–पिता बनाने के लिए आवश्यक है। हमारे पास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था भी हैं जो आपको फोस्टरिंग की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। हम संकट वाली परिस्थितियों में आपकी सहायता करने के लिए सहायता समूह भी बनाएंगे, ताकि आप समर्थित और आत्मविश्वास महसूस करें।

हमारा मानना है कि एक साथ मिल कर काम करने से हम बच्चों की मदद कर पाएंगे और आपके और बच्चे के लिए फोस्टरिंग का यह अनुभव सकारात्मक और प्रभावशाली यात्रा के तौर पर बना रहेगा।

वसुंधरा

मैनेजिंग डायरेक्टर

सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन अल्टरनेटिव केयर (इंडिया)

विषय–सूची

संकेताक्षरों (Abbreviations) की सूची x

हैंडबुक के बारे में 1

खंड 1 फोस्टर केयर के कानूनी प्रावधान 3

खंड 2 फोस्टर केयर की प्रक्रिया 8

फोस्टर केयर के चरण 9

चरण 1 आवेदनों को जमा करना 9

चरण 2 प्रारंभिक पूछताछ 9

चरण 3 होम विजिट 9

चरण 4 असेसमेंट 10

चरण 5 प्री सर्विस फोस्टर केयर ट्रेनिंग 11

चरण 6 चयन 12

चरण 7 पालक माता–पिता के साथ बच्चे का मिलान 13

चरण 8 पालक बच्चे का पालक परिवार में प्लेसमेंट 14

चरण 9 प्लेसमेंट के दौरान केयर प्लानिंग/प्लेसमेंट की निगरानी 15

चरण 10 देखभाल से बाहर निकलने की तैयारी 16

खंड 3 फोस्टर केयर प्लेसमेंट में मुद्दों को समझते हुए स्थायित्व को प्रोत्साहित करना 20

1. दुर्घटना 20
2. आरोप एवं शिकायत 21
3. व्यवहार प्रबंधन और सजा 22
4. डराना/परेशान करना 23
5. बच्चे के खिलाफ हिंसा 24
6. दिव्यांग बच्चे 25
7. दैनिक कार्य और कर्तव्य 26
8. बच्चे द्वारा आपराधिक गतिविधि 26
9. शिक्षा 26
10. पालक बच्चे के लिए आराम और खेलने का समय 27
11. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 27
12. फोस्टर होम से लापता होना 28
13. जेब खर्च (पॉकेट मनी) 28
14. मीडिया और सोशल मीडिया 29
15. लाइफ बुक और मेमोरी बॉक्स 30

अनुलग्नक (Annexures) 32

शब्दावली (Glossary) 32

अनुलग्नक 1: घटना की रिर्पोट के लिये प्रपत्र (Incident Accident Report Form 2020) 35

अनुलग्नक 2: प्रपत्र 30 37

अनुलग्नक 3: प्रपत्र 33 41

संकेताक्षरों (Abbreviations) की सूची

ADCP	सहायक निदेशक बाल संरक्षण
CEAC	सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन अल्टरनेटिव केयर
CCI	बाल देखरेख संस्थान
CWC	बाल कल्याण समिति
DCPO	जिला बाल संरक्षण अधिकारी
DCPU	जिला बाल संरक्षण इकाई
DM	जिला पदाधिकारी
HIV	मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु/ह्यूमन इम्मुनोडिफिसिएन्सी वायरस
ICPS	समेकित बाल संरक्षण योजना
IEC	सूचना शिक्षण संचार सामग्री
JJ Act	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम
NPAC	बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना
NCPCR	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NGO	गैर सरकारी संगठन
PFC	भावी फोस्टर देखभाल कर्ता
PO&IC	संरक्षण अधिकारी–संस्थागत देखभाल
PO&NIC	संरक्षण अधिकारी–गैर संस्थागत देखभाल
SCPS	राज्य बाल संरक्षण समिति
SFCAC	प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति
TB	यक्ष्मा/तपेदिक
UNCRC	बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
UNGACC	बच्चों के लिए वैकल्पिक देखभाल पर संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देश
UNICEF	यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड

हैंडबुक के बारे में

यह हैंडबुक किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय नियमावली, 2016, फोस्टर केयर पर मॉडल दिशानिर्देश, 2016 और फोस्टर केयर पर यूजर गाइड, 2018 के आधार पर फॉस्टर केयर के कानूनी प्रावधानों, नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। यह हैंडबुक आपको पालक बच्चे को बेहतर देखभाल करने की समझ एवं उसमे सहयोग प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

हैंडबुक को तीन प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 1 फोस्टर केयर से जुड़े कानूनी प्रावधानों से संबंधित है। खंड 2 भावी पालक माता–पिता के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ से लेकर पालक माता–पिता बनने तक होने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। खंड 3 प्लेसमेंट को स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से उन मुद्दों को संदर्भित करने पर केंद्रित है, जिनका सामना बच्चे की फोस्टरिंग के दौरान एक पालक माता–पिता को करना पड़ सकता है।

फोस्टरिंग की यात्रा शुरू करने से पहले सतर्कता के कुछ मुख्य बिंदु और सिद्धांतः

बिंदु नंबर 1: **बच्चा कौन है?**

बच्चे से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।[1]

बिंदु संख्या 2: **पालक देखभाल का अर्थ**

फोस्टर केयर का अर्थ है, ऐसे बच्चे को परिवार–आधारित देखभाल प्रदान करना, जो माता–पिता की देखभाल के बगैर हैं।

मुख्य बिंदु संख्या 3: **नोडल एजेंसी**

डीसीपीयू जिले में फोस्टर केयर को लागू करने के लिये नोडल एजेंसी एवं सीडब्ल्यूसी बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने का प्राधिकरण है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) या डीसीपीयू के प्रमुख के रूप में एडीसीपी फोस्टर केयर कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी हैं।

बिंदु संख्या 4: **फोस्टर केयर में बच्चे को लेने का निर्णय**

पालक माता–पिता के रूप में, जब आप एक बच्चे की फोस्टरिंग कर रहे हैं तो उस बच्चे के लिए जीवन बदलने वाले किसी भी निर्णय में उसकी स्वयं की, उसके माता–पिता, अगर उपलब्ध हों तो उनकी सहमति आवश्यक होगी। यह कार्य सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू और सीईएसी के परामर्श से ही संभव होगा।

बिंदु संख्या 5: **दत्तक ग्रहण और पालक देखभाल**

पालक देखभाल फोस्टर केयर, जो एक अस्थायी व्यवस्था है, के विपरीत दत्तक ग्रहण एक स्थायी व्यवस्था है। पालक देखभाल में बच्चे की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों के द्वारा प्लेसमेंट की नियमित निगरानी की जाती है। जैसा कि पहले ही उल्लेखित है, फोस्टर बच्चे के विषय में कोई भी निर्णय डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी की सहमति से लिया जाएगा।

बिंदु संख्या 6: **उपलब्ध सहयोग प्रणाली**

एक बच्चे की देखभाल करना भावनात्मक और आर्थिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। सीईएसी राज्य सरकार के सहयोग से फोस्टर केयर कार्यक्रम द्वारा आवश्यक देखभाल के मानकों को पूरा करने में आपकी सहायता करने की यथासंभव कोशिश करेगा। हालांकि, इस सहयोग को कभी भी उस देखभाल के बदले में मिलने वाले वित्तीय लाभ या लाभ कमाने के अवसर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्राप्त होने वाली किसी प्रकार की सहायता केवल फोस्टर केयर में बच्चे की देखभाल के दौरान आपके और आपके परिवार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने के लिए है।

[1]धारा 2(12), किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

बिंदु संख्या 7: **पालक माता–पिताओं का प्रशिक्षण**

हमें ज्ञात है कि कभी–कभी हैंडबुक में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरह यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण के दौरान आप उन सभी प्रश्नों का जवाब पा सकें, जो आपको पालक माता–पिता बनने के लिए जानना जरूरी है। प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी होगा और इसे सरल और समझने में आसान बनाने की पूरी कोशिश सीईएसी द्वारा की जाएगी। आपके दैनिक जीवन के लिए उपयोगी इन अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को और अधिक व्यावहारिक बनाने में लगातार प्रशिक्षण और सहायता समूह की नियमित बैठक का आयोजन सहायक होगा।

बिंदु संख्या 8: **उपयुक्त प्लेसमेंट**

सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आपके साथ एक उपयुक्त बच्चे को रखने का पूरा प्रयास करेंगे, यद्यपि, कभी–कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि, किसी विशेष लिंग या आयु के बच्चे को लेना आपके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप शुरुआत में ही इस चिंता को सीईएसी और डीसीपीयू प्रतिनिधियों के समक्ष रखें, ताकि आपके घर में सही बच्चे को रखा जा सके।

बिंदु संख्या 9: **प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता**

बच्चे को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वो अपने विचारों एवं रायों को साझा कर सकें। जैसा कि आप समझते हैं कि आप बतौर एक पालक माता–पिता बच्चे के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, दिए गए प्रशिक्षण से आपको बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।

बिंदु संख्या 10: **बाल संरक्षण नीति**

बाल संरक्षण नीति वह उपक्रम है जिसके तहत आप बाल संरक्षण के मूल सारांश को समझते हैं और यह वचन देते हैं कि प्लेसमेंट अवधि के दौरान बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बच्चे की पूरी देखभाल करेंगे।

बिंदु संख्या 11: **उत्तरदायी विभाग**

यह फोस्टर केयर प्रोग्राम राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है और यूनिसेफ के सहयोगी के रूप में सीईएसी द्वारा लागू किया गया है। इस कार्यक्रम में पालक माता–पिता के रूप में, कार्यक्रम की आवश्यकताओं के साथ आपका अनुपालन एवं सहयोग सराहनीय है। यद्यपि यह हैंडबुक सभी संभावनाओं या मुद्दों को कवर नहीं कर सकता है, हम आशा करते हैं कि यह फोस्टर केयर की आपकी यात्रा में सहायता करने के लिए एक मूल मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

चित्र सौजन्यः कुन्सकैप्सकोलन, गुड़गांव।

खंड

1

फोस्टर केयर के कानूनी प्रावधान

प्रत्येक बच्चे को पारिवारिक वातावरण[2] में विकसित होने का अधिकार है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे बच्चों को पारिवारिक वातावरण प्रदान करे, जो कठिन परिस्थितियों के कारण अपने जैविक माता–पिता के साथ रहने में असमर्थ है।

यूएनसीआरसी की प्रस्तावना में कहा गया है, **'अपने व्यक्तित्व के पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए बच्चे को पारिवारिक वातावरण में, खुशी और प्रेम के माहौल में बिकसित होना चाहिए'**।[3]

वर्ष 2010 में यूएन ने वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षा एवं हित से संबंधित यूएनसीआरसी के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक देखभाल पर दिशानिर्देशों को अपनाया।

1. औपचारिक और अनौपचारिक किनशिप केयर
2. फोस्टर केयर
3. आवासीय देखभाल

दिशानिर्देश में अनुसंशा की गई है कि परिवारों को उनके बच्चों की देखभाल करने में सहयोग करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और गरीबी के कारण किसी भी बच्चे को संस्थागत देखभाल में नहीं रखा जाना चाहिए। राज्यों को अपने माता–पिता या रिश्तेदारों के साथ बच्चों के पुनर्मिलन के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए और जहां तक संभव हो, भाई–बहनों को एक साथ रखा जाना चाहिए। सभी बच्चों के मूल अधिकारों का हर वक्त सम्मान किया जाना चाहिए, विशेषकर उनके लिए कोई भी निर्णय लेते समय स्वयं उनके विचार भी शामिल करने चाहिए।[4]

भारत के संविधान के द्वारा बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के सामान्य और विशिष्ट प्रावधान किये गए हैं।[5] बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2013, राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 और एकींत बाल संरक्षण योजना, 2014 इस तथ्य को मान्यता देता है कि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बहु–क्षेत्रीय और बहु–आयामी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवार आधारित देखभाल के लिए प्रयास किया जाना सबसे महत्वपूर्ण आयाम है।

फोस्टर केयर से संबंधित कानूनी प्रावधान निम्न हैं:

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट), विधि विवादित और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से सम्बंधित एक महत्वूर्ण अधिनियम है।

अधिनियम की धारा 2(29) के तहत फोस्टर केयर को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके तहत बच्चों को परिवार के घरेलू वातावरण में, अपने जैविक परिवार के अलावा, वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से समिति द्वारा वैसे परिवार, जो इस तरह की देखभाल प्रदान करने के लिए चयनित, योग्य, अनुमोदित और निगरानी किये गए हों, में रखा जाता है।[6]

धारा 2(30) फॉस्टर परिवार को ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित करता है जिसे जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चों को जेजे एक्ट की धारा 44 के तहत फोस्टर केयर में रखने के उपयुक्त पाया गया हो।[7]

धारा 44 में कहा गया है कि एक बच्चे को सीडब्ल्यूसी के आदेशों के द्वारा फोस्टर केयर में रखा जा सकता है, एक ऐसे परिवार में जो बच्चे से असंबंधित हो और थोड़े या विस्तारित अवधि के लिए बच्चे की देखभाल करने के लिए उपयुक्त और सक्षम के रूप में मान्यता प्राप्त हो।[8]

धारा 44(2) में वर्णित है कि पालक परिवार का चयन परिवार के सामर्थ्य, इरादे, क्षमता और बच्चों की देखभाल के पूर्व अनुभवों पर आधारित होगा।

धारा 44(9) में कहा गया है कि गोद लेने योग्य (adoptable) किसी भी बच्चे को दीर्घकालिक फोस्टर केयर के लिए नहीं दिया जाएगा।

---

[2]अनुच्छेद 20, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1989
[3]प्रस्तावना, UNCRC 1989
[4]बच्चों की वैकल्पिक देखभाल के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश, 2010 | ARES.64/142 संयुक्त राष्ट्र महासभा
[5]अनुच्छेद 14, 15, 21, 21 (a), 23, 24, 39 (e)39 (f), 45 & 46
[6]धारा 2(29), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
[7]धारा 2(30), ऐपक
[8]धारा 44, Ibid 2015

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल रूल, 2016

किशोर न्याय मॅडल नियम 2016, किशोर न्याय अधिनियम 2015 से अपना प्राधिकार प्राप्त करते हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए बनाये गए ये नियम मानक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं हैं। इन नियमों को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा या तो अपनी सामाजिक–आर्थिक और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूल बनाकर या अपनाकर लागू किया जाना है।

नियमावली का अध्याय VI पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण से संबंधित है और इसमें सीसीआईस के पंजीकरण, ओपनशेल्टर, फॉस्टर केयर, स्पान्सरशिप और आफ्टर केयर के विषय में विस्तृत नियम बताये गए हैं।

नियम 23 में वर्णित है कि जिला बाल संरक्षण इकाई जिले में फोस्टर केयर कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल प्राधिकरण होगा। नियमानुसार, फोस्टर केयर में किसी बच्चे की रखने से संबंधित निर्णय सीडब्ल्यूसी द्वारा लिया जाएगा। डीसीपीयू उन बच्चों को भी फोस्टर केयर से जोड़ने पर विचार करेगा जो समुदाय में रह रहे हैं। प्लेसमेंट बच्चे की जरूरतों के आधार पर अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है।

नियम 44 में उन बच्चों की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, जिसमे यदि गोद लेने योग्य बच्चों को एक निश्चित अवधि के लिए गोद नहीं लिया जा रहा है, तो उन्हें फोस्टर केयर में रखने के लिए विचार किया जा सकता है। (1) 6 से 8 वर्ष के बच्चे जिन्हे 2 वर्ष तक नहीं गोद नहीं लिया गया हो, (2) 8 से 18 वर्ष के बच्चे जिन्हे 1 वर्ष तक गोद नहीं लिया गया हो, एवं (3) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो चाहे किसी भी उम्र के हों, उन्हें इंटर कंट्री या इंट्रा कंट्री दत्तक ग्रहण में 1 वर्ष तक गोद नहीं लिया गया हो।

नियम 44(V)में आगे किया उल्लेखित गया है कि यदि कोई बच्चा प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर के अलावा 5 साल के लिए अगर किसी फोस्टर परिवार के साथ रहा है, तो फोस्टर परिवार उसे गोद लेने के लिए आवेदन कर सकता है। सीएआरआईएनजी के साथ पंजीकरण के बाद दत्तक ग्रहण विनियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

किसी भी बच्चे को फोस्टर में रखने के लिए, सीडब्ल्यूसी व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) और बच्चे की राय को ध्यान में रखेगी। डीसीपीयू भावी फोस्टर परिवार के मूल्यांकन के आधार फोस्टर केयर के लिए उनके नाम की अनुशंसा करेगा। डीसीपीयू फोस्टर देखभालकर्ताओं के लिए पात्रता के विशिष्ट मानदंडों की रूपरेखा चित्रित करता है।

एक बच्चे की रखने से पूर्व फोस्टर परिवार के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण से गुजरना आवश्यक होगा, साथ ही सफल प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए उस परिवार और बच्चे को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी बच्चे और उसके जैविक परिवार के बीच संपर्क में यथोचित सहयोग करेंगे।

बच्चे के रिकॉर्ड की निगरानी और रखरखाव के लिए डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

फोस्टर केयर में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए नियमावली में कई प्रकार के प्रारूप दिए गए हैं।

फोस्टर केयर 2016 के लिए मश्डल दिशानिर्देश

फोस्टर केयर के मॉडल दिशानिर्देशों को नवंबर 2016 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस मॉडल दिशानिर्देशों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय नियमावली, 2016 के रूल 23 और 44 तथा यूएनसीआरसी (1989) के आधार पर तैयार किया गया है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी सामाजिक–आर्थिक और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप इन दिशानिर्देशों को अनुकूल बनाने या अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये दिशा निर्देश उन बच्चों की श्रेणियों को रेखांकित करते हैं जिन्हे फोस्टर केयर से जोड़ा जा सकता है (अध्याय 6 देखें), साथ ही इसमें ग्रुप फोस्टर केयर की अवधारणा को जोड़ा है। इस दिशानिर्देश में यह कहा गया है कि पालक माता–पिता उस बच्चे को गोद भी सकते हैं, जिसे उन्होंने 5 साल तक फोस्टर केयर में रखा है। ऐसे पालक माता–पिता को दत्तक ग्रहण विनियम, 2016 के तहत Child Adoption Resource Information and Guidance System (सीएआरआईएनजीएस) द्वारा बनाए गए एक अलग पेज पर पंजीकरण करना होता है। ये मॉडल दिशानिर्देश पालक देखभालकर्ताओं के मानदंडों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। इसके अलावे इसमें पालक परिवार का आकलन, बच्चे का मिलान, परामर्श और बच्चे के प्लेसमेंट का अनुश्रवण और निरीक्षण इत्यादि भी शामिल हैं।

फोस्टर केयर पर यूजर गाइड

फोस्टर केयर पर यूजर गाइड राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा अगस्त 2018 में प्रकाशित किया गया था। यूजर गाइड का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण पालक देखभाल सेवाओं के विकास हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है। यह गाइड सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू पालक परिवारों, गैर–सरकारी संगठनों जो फोस्टर केयर सेवा प्रदान करते हैं तथा वैसे किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए उपयोगी साबित होगा जो पालक देखभाल में भूमिका निभाते हैं।

फोस्टर होम्स के प्रकार

पारिवारिक जीवन की आवश्यकता वाले बच्चों की कई जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से, कानून में विभिन्न प्रकार के देखभाल की व्यवस्था की गयी है। आपके लिए देखभाल के प्रकारों को समझना आवश्यक है, ताकि आपका परिवार एक बच्चे को प्रदान करने के लिए उपयुक्त साबित हो सके।

क **किनशिप केयरः** किनशिप केयर में देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे को परिवार के सदस्य द्वारा देखभाल सुविधा प्रदान किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब परिवार समस्याओं का अनुभव करते हैं तो रिश्तेदार बच्चे की देखभाल करते हैं। देखभाल का यह स्वरूप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा उन लोगों के करीब रहता है जो उसे जानते हैं और उससे प्यार करते हैं। कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में किनशिप केयर योजनाएं विकसित की है और विभिन्न नाम प्रदान किये हैं, जैसे बिहार में परवरिश, राजस्थान में पालनहार, महाराष्ट्र में बाल संगोपन योजना, गोवा में वात्सल्य इत्यादि।

ख **इमरजेन्सी केयरः** इमरजेन्सी केयर अल्पकालिक देखभाल का ही एक स्वरूप है। अनिश्चित परिस्थितियों में तत्काल आश्रय की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के लिए आपातकालीन देखभालकर्ता सीडब्ल्यूसी और डीसीपीयू के साथ मिलकर उन्हे इमरजेन्सी केयर में रखने का काम करते हैं। इसका उद्देश्य बच्चे को तत्काल सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि सीईएसी / डीसीपीओ प्रतिनिधि बच्चे की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर उसके सुरक्षा के लिए योजना बनाएँगे। सामान्य तौर पर इमरजेन्सी केयर कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताहों तक की हो सकती है।

ग **अल्पकालिक फोस्टर केयरः** इस फोस्टर केयर का उद्देश्य बच्चे को अल्पकालिक अवधि के लिए देखभाल प्रदान करना है, जबकि परिवार सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मिलकर यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि भविष्य में बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए। प्लेसमेंट के दौरान, जैविक माता–पिता, अगर हों तो, से अपेक्षित है की वे उन सभी समस्याओं को संदर्भित कर लेंगे जिनका वो सामना कर रहे हैं। अल्पकालिक फोस्टर केयर सामान्य तौर पर 3 से 12 महीने तक का हो सकता है।

घ **दीर्घकालीन फोस्टर केयरः** दीर्घकालीन फोस्टर केयर का उद्देश्य बच्चे को बड़े होने के लिए एक परिवार का साथ लम्बे समय तक प्रदान करना है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब बच्चे के के लिए घर या माता–पिता के पास लौटने की संभावना नहीं है, उनके लिए घर लौटना असुरक्षित है या बच्चा अनाथ है। दीर्घकालीन फोस्टर केयर प्रदाता बच्चे से सम्बंधित सभी जिम्मेदारियां लेते हैं, बच्चों को सुनिश्चित कराते हैं कि वे बड़े होने में सक्षम हैं और बच्चों के भविष्य के लिए तैयार रहते हैं।

ङ **गोद लेने के लिए फोस्टरिंगः** कुछ परिस्थितियों में यानि अगर कोई बच्चा 5 साल के लिए फोस्टर केयर में पाला गया हो और उसके माता–पिता के साथ वापस जाने का कोई विकल्प नहीं है तो फोस्टर केयर करने वालों को अपने पालक बच्चे को गोद लेने की अनुमति दी जा सकती है। दत्तक ग्रहण के लिए, The Adoption Regulation, 2017 और Model Guidelines on Foster Care, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

बच्चों को फोस्टर केयर में क्यों रखा जाता है

कभी–कभी जैविक माता–पिता कई कारणों से अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हो जाते हैं। दुनिया भर में बच्चों को कई कारणों से फोस्टर केयर में रखा जाता है। कई माता–पिता के लिए अक्सर गरीबी एक अंतर्निहित कारण होती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं।

अनाथ बच्चे[9]

अनाथ बच्चे से अभिप्राय है (क) जो जैविक या दत्तक माता–पिता या कानूनी अभिभावक के बिना है, या (ख) जिसके कानूनी अभिभावक बच्चे की देखभाल करना नहीं चाहते या देखभाल करने में सक्षम नहीं है।

लापता बच्चे

कई बार, बच्चे यात्रा करते समय रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेला या सामाजिक समारोहों जैसी जगहों पर अपने माता–पिता से अलग हो जाते हैं। कम उम्र के कारण बच्चा अपने माता–पिता का नाम और पता बताने में असमर्थ होता है और कई बार पुलिस काफी प्रयासों के बावजूद परिवार का पता लगाने में असमर्थ होती है।

बच्चों को सरेंडर करना

कई बार परिवार गरीबी, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ होते हैं, और बच्चे को सरेंडर की इच्छा रखते हैं। भारत में, लड़कों को अधिक प्राथमिकता दिए जाने के कारण, अक्सर माता–पिता लड़कियों की परवरिश करने में रुचि नहीं रखते हैं और राज्य को सौंप देते हैं।[10]

[9]धारा 2(42), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
[10]धारा 2(60) ibid

परित्याग

कई कारणों से माता–पिता द्वारा कभी–कभी अपने बच्चों का परित्याग कर दिया जाता है। कई बार माता–पिता व्यग्र होकर अपने बच्चे को दूसरे व्यक्ति की देखभाल में छोड़ देते हैं। कुछ माता–पिता के रूप में अपनी स्थिति पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं (अधिकतर अविवाहित होने के मामले में) या बच्चे की पर्याप्त देखभाल करने में विफल होते हैं और अपने बच्चे को छोड़ देते हैं।[11]

गरीबी

जब कोई माता–पिता अपने बच्चे की बुनियादी देखभाल में असमर्थ हों, या नहीं कर पा रहे हों तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चे उपेक्षित हो जाते हैं। कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जिसमे माता–पिता को यह नहीं पता होता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करें। अन्य अवसरों पर माता–पिता के चिकित्सीय, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति या मादक द्रव्यों के सेवन, जैसी परिस्थितियों के कारण बच्चे की देखभाल में व्यवधान होता है। बच्चे को स्कूल भेजने या चिकित्सकीय देखभाल प्रदान करने में माता–पिता की विफलता भी बच्चों के प्रति उपेक्षा की संभावनाएं पैदा करती है। उपेक्षा में मुख्य रूप से बच्चे के लिए पर्याप्त घर, पर्यवेक्षण और पोषण प्रदान करने में माता–पिता की विफलता जैसे अवयव शामिल होते हैं।

पलायन किये हुए (रन अवे) बच्चे

कई बार, बच्चे घर, स्कूल या समुदाय में शारीरिक, भावनात्मक और यौनशोषण का अनुभव करते हैं। माता–पिता अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, जिससे उनके बच्चों को नुकसानदायक हो सकता है। कई बार बच्चों को स्कूल में धमकाया जाता है या उनके धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, फलस्वरूप बच्चा पलायन कर जाता है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

कभी–कभी बच्चे सीखने की विशेष जरूरतों वाले बच्चे, संवेदी प्रसंस्करण (दृष्टि और श्रवण) में देरी या न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण सीखने और विशिष्ट विकास में देरी का अनुभव करते हैं जो देरी करते हैं। कुछ बच्चे विकास संबंधी चुनौतियों के साथ पैदा हो सकते हैं या बीमारी या चोट के परिणामस्वरूप चुनौतियों के साथ बड़े होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होने पर माता–पिता अक्सर शर्म महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में या तो माता–पिता बच्चे को सीसीआई में रखने के लिए स्वयं निर्णय लेते हैं या उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कई बार परिवार को बच्चे की देखभाल करना मुश्किल लगता है और वो सोचने लगते हैं कि सीसीआई में ही उस बच्चे की बेहतर तरीके से देखभाल हो सकती है। दुनिया भर में किए गए शोध ये पुष्टि करते हैं कि बच्चे के बेहतर विकास के लिए सीसीआई सर्वाधिक उपयुक्त जगह नहीं है।[12] सामुदायिक सहयोग और संसाधनों की मदद से माता–पिता को बच्चों को घर पर रखने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिसमें अन्य बच्चों के साथ स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं। जब माता–पिता बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो किनशिप केयर पहला तथा फोस्टर केयर उसके बाद का विकल्प माना जाता है।

फोस्टर देखभालकर्ता बनने के लिए पात्रता मानदंड

किशोर न्याय नियमावली, 2016 के नियम 23(12) में फोस्टर फैमिली का चयन करते समय डीसीपीयू द्वारा विशिष्ट मानदंडों पर विचार करने को कहा गया है:[13]

1. पति–पत्नी दोनों भारतीय नागरिक हों
2. उस बच्चे को फोस्टर केयर में लेने के लिए दोनों का इच्छुक होना आवश्यक है
3. पति–पत्नी दोनों की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
4. दोनों का शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में होना चाहिए
5. बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार के पास पर्याप्त आय होनी चाहिए

[11]धारा 2(1) किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
[12]Browne,K (20005), दत्तक ग्रहण और फोस्टरिंग, 29-23-33
[13]नियम 23, किशोर न्याय नियमावली, 2016

6. एक परिसर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों की चिकित्सा रिपोर्टें आवश्यक हैं, जिसमें ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस (एचआईवी), क्षय रोग (टीवी) और हेपेटाइटिस बी या किसी भी अन्य संक्रामक रोग और कैंसर से सम्बंधित रिपोर्ट भी शामिल है जो उनके स्वास्थ्य की स्थिति निर्धारित करे
7. घर में पर्याप्त जगह और बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए।

मॉडल दिशानिर्देश भी इनमें निम्नलिखित तथ्य जोड़ते हैं:

1. डॉक्टरों के नियमित दौरे, बच्चे के स्वास्थ्य के रखरखाव और उनके रिकॉर्ड सहित निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए तैयार हों
2. डीसीपीयू द्वारा आयोजित फोस्टर केयर ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार होना आवश्यक है।
3. माता–पिता पर किसी भी प्रकार का आपराधिक दोषसिद्धि या अभियोग नहीं होना चाहिए
4. दोस्तों और पड़ोसियों के साथ सहायक सामुदायिक संबंध होना चाहिए।

नोट: अधिनियम और नियम, दोनों फोस्टरिंग के लिए अधिकतम उम्र को परिभाषित नहीं करते हैं।

फोस्टर केयर करने वालों के लिए पात्रता मानदंड एडॉप्शन के लिए निर्धारित आवश्यक मानदंड, जो एकल देखभालकर्ताओं और 25 वर्ष से अधिक उम्र के देखभालकर्ताओं को एडॉप्शन करने की अनुमति देता है, से भिन्न होते हैं (द अडॉप्शन रेगुलेशन 2017)।[14]

चित्र सौजन्य: कुन्सकैप्सकोलन, गुड़गांव।

[14] http://cara.nic.in/PDF/Regulation_english.pdf

खंड 2

फोस्टर केयर की प्रक्रिया

एक फोस्टर केयर कार्यक्रम सुरक्षित देखभाल व्यवस्था प्रदान करने की सारी प्रक्रियाओं का अवलोकन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपको फोस्टर माता–पिता के रूप में पूरा सहयोग प्राप्त हो तथा फोस्टर केयर में रखे बच्चे को हरसंभव देखभाल प्रदान किया जाये। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपको कुछ और फॉर्म भरने और जानकारी के लिए अन्य अनुरोधों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि फोस्टर केयर प्रोग्राम में बच्चे की देखभाल के लिए सही व्यक्तियों का ही चयन किया जाए। हालांकि, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको इस प्रक्रिया में सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि द्वारा पर्याप्त सहयोग और मार्गदर्शन किया जाएगा।

फोस्टर केयर की क्रमानुसार प्रक्रियाएं निम्न है:[15]

1	सीईएसी/डीसीपीयू समुदाय से संभावित फोस्टर देखभालकर्ताओं (पीएफसी) से आवेदन आमंत्रित करेंगे और अनुरोध के आधार पर उनको आवेदन फॉर्म[16] प्रदान करेंगे।
2	पीएफसी उस आवेदन पत्र को भरकर सीईएसी/डीसीपीयू में लौटा देंगे।
3	सीईएसी/डीसीपीयू उस आवेदन की प्राप्ति स्वीकार करेंगे और पीएफसी को बुलाकर उन्हें फोस्टरिंग के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही, उनसे कुछ बुनियादी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार प्रारंभिक पूछताछ आवेदन (Initial Enquiry Form)[17] भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
4	पीएफसी के साथ सीईएसी/डीसीपीयू, और संरक्षण अधिकारी पीओ यदि उपयुक्त हो, तो इस मामले को अगले चरण यानि प्रारंभिक होम विजिट के लिए आगे बढ़ने का फैसला करेंगे।
5	सीईएसी/डीसीपीयू परिवार का दौरा कर, दोनों पीएफसी से मुलाकात करता है और होम विजिट फॉर्म के लिए जानकारी इकट्ठा करता है।
6	सीईएसी/डीसीपीयू परिवार और पीओ के परामर्श से, उचित प्रक्रिया तय करेगा कि इस प्रक्रिया को यहीं समाप्त करना है या अगले चरण यानि होम स्टडी (फॉर्म 30)[18] और साइकोसोशल असेसमेंट[19] के लिए आगे बढ़ाना है।
7	इसके बाद की प्रक्रिया के तहत पीएफसी को सेल्फ असेसमेंट (होम स्टडी का भाग 1) पूरा करने के लिए दिया जाता है और चेक और संदर्भ[20] (पुलिस रिकॉर्ड चेक और संदर्भ के लिए सहमति देने) पर सहमति बनाने के लिए हस्ताक्षर करने और अपने और परिवार के सभी बच्चों के लिए मेडिकल परीक्षण कराने के लिए कहा जाएगा।
8	परिवार के अन्य वयस्क सदस्य भी चेक और संदर्भ[21] पर सहमति दर्ज करेंगे और पुलिस रिकॉर्ड की जांच, और मेडिकल परीक्षण कराने के लिए सहमति देंगे।
9	परिवार का आकलन करने के लिए सीईएसी/डीसीपीयू को केस आबंटित किया जाएगा।
10	सीईएसी/डीसीपीयू संदर्भ लेकर पुलिस रिकॉर्ड चेक और मेडिकल परीक्षणों के लिए उपयुक्त आदेश देने के लिए सीडब्ल्यूसी को मामला संदर्भित करेंगे।
11	पीएफसी डीसीपीयू में स्व मूल्यांकन (गृह अध्ययन का भाग 1) भर कर वापस करेंगे।
12	सीईएसी/डीसीपीयू होम स्टडी के भाग 2 (फॉर्म 30) को पूरा करने के लिए, मनोसामाजिक विश्लेषण का मूल्यांकन करने के लिए तथा स्वास्थ्य और होम के सुरक्षा[22] का आकलन करने के लिए परिवार का दौरा करेंगे।
13	जब पुलिस जाँच, चिकित्सा और सभी सन्दर्भों का सत्यापन होकर दस्तावेज वापस आ जाएगा, तो डीसीपीयू यह निर्णय लेगी कि उस परिवार के लिए अग्रेतर करवाई हेतु अनुशंसा की जा सकती है या नहीं।
14	गृह अध्ययन के दोनों भाग यानि भाग 1 और 2 को तथा साइकोसोशल मूल्यांकन पर विचार करने के लिए सीडब्ल्यूसी को भेजा जाएगा।
15	सीडब्ल्यूसी सारे प्रतिवेदनों को पढ़ने के बाद, पीएफसी से मिलेगी और अनुमोदन या अस्वींति की अनुसंशा करेगी।
16	अगर आवेदन पर मंजूरी प्राप्त हो जाए, तो डीसीपीयू प्लेसमेंट सूची के अनुसार उपलब्ध बच्चों से मिलान का कार्य करेगी।

[15]फॉस्टर केयर पर यूज़र गाइड, 2018, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
[16]फॉस्टर केयर, 2016 के मॉडल दिशानिर्देशों का सन्दर्भ लें
[17]फॉस्टर केयर, 2018 पर यूज़र गाइड का सन्दर्भ लें
[18]पृष्ठ संख्या 37 पर Annexure II
[19]फॉस्टर केयर पर यूज़र गाइड, 2018, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
[20]Ibid
[21]Ibid
[22]Ibid

फोस्टर केयर के चरण

चरण 1 आवेदन जमा करें

1.1 इस स्तर पर, आप फोस्टर माता–पिता बनने के लिए अपनी इच्छा जताते हुए आवेदन पत्र भरेंगे। तत्पश्चात यदि आप बुनियादी आवश्यकता को पूरा करते हैं, तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि द्वारा आपके और आपके परिवार के साथ आपके घर पर बैठक करने हेतु संपर्क किया जाएगा। यह कार्य आप सीईएसी द्वारा विकसित वेबसाइट www-canwefoster.org के माध्यम से भी कर सकते हैं।

1.2 सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि, या जिस व्यक्ति के माध्यम से आपको यह फॉर्म प्राप्त हुआ है, वह फॉर्म भरने में आपकी मदद करेंगे और प्रक्रिया से सम्बंधित आपके किसी भी प्रश्न को समझने में आपकी सहायता करेंगे।

1.3 आवेदन पत्र को सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि के पास जमा करें।

1.4 इसके बाद आप आवेदन पत्र भरेंगे, जिसमें सीईएसी/डीसीपीयू संपर्क करने के लिए दो संदर्भों की जानकारी शामिल होगी।

चरण 2 प्रारंभिक पूछताछ

2.1 इसे फोन पर या आमने–सामने बैठकर पूरा किया जा सकता है। सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि द्वारा पूछी गई जानकारी को साझा करने और प्रश्नों का जवाब देने की अनुशंसा की जाती है। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर फोस्टर केयर की प्रक्रिया या तो यहीं समाप्त की जा सकती है या आगे बढ़ाई जा सकती है:

2.2 निम्न परिस्थितियों में यह प्रक्रिया जारी रहेगी:

क) यदि आप कानून के अनुसार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

ख) यदि आपको बतौर एक संभावित माता पिता के रूप में देखा जा रहा है और आप अगले कदम की ओर बढ़ने के लिए इच्छुक हैं।

2.3 सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि अपने निर्णय और कारणों सहित प्रारंभिक पूछताछ फॉर्म को पूरा करेंगे और उसपर अपना हस्ताक्षर और तारीख अंकित करेंगे।

2.4 यदि कानून के अनुसार निम्न निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे नहीं हो पा रहे हों तो, फोस्टर केयर में आवेदन की यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी:

क) यदि सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि की राय में, कुछ कारणों से आप एक फोस्टर परिवार बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं (उदाहरण के लिए– आप किसी विशिष्ट बच्चे को ही फोस्टर केयर में लेना चाहते हैं, आप एक फोस्टर बच्चे के लिए समय नहीं निकाल सकते, प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, इत्यादि)

ख) आप स्वयं फोस्टर देखभालकर्ता बनने की प्रक्रिया से पीछे हटना चाह सकते हैं।

चरण 3 होम विजिट

3.1 सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि और आप को होम विजिट और अधिक जानकारी का पता लगाने, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करने और घर और आस–पास के परिवेश का निरीक्षण करने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है।

3.2 होम विजिट के पूरा होने के बाद 2 विकल्प शेष होंगे: या तो प्रक्रिया समाप्त करें और या आगे प्रक्रिया जारी रखें।

3.2.1 प्रक्रिया समाप्त करना

होम विजिट के दौरान, परिवार प्रक्रिया से हटने का फैसला कर सकता है।

विजिट के दौरान एकत्रित जानकारी के आधार पर, सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि की राय इस जाँच को आगे नहीं बढ़ाने की हो सकती है। इस निष्कर्ष पर आने के कई कारण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, घर का असुरक्षित या बहुत छोटा होना, जैविक बच्चे या परिवार के सदस्य फोस्टरिंग में सहयोग नहीं करना, अपने बच्चों या अन्य प्रतिबद्धताओं की मांगें हीं बहुत अधिक होना, बच्चों के प्रति उनका रवैया बहुत कठोर या दंडात्मक होना, जानकारी साझा करने या प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होना अथवा उनके आपराधिक रिकॉर्ड या स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों का होना इत्यादि।

3.2.2 प्रक्रिया को जारी रखना

यदि अभी भी परिवार फोस्टर केयर के लिए क्षमतावान और इच्छुक पाया जाता है, तो उन्हें अगले चरण यानि एक 'स्व मूल्यांकन प्रपत्र' या Self Assessment Form (गृह अध्ययन प्रपत्र 30 का भाग 1) को पूरा करने के बारे में सूचित किया जाएगा। इस प्रपत्र को भरने के लिए प्रपत्र 30 की एक प्रति परिवार को दी जाएगी, जिसे बाद में एकत्र कर लिया जाएगा।

चेकों और संदर्भों के लिए सहमति पर भी आपको हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।[23] आप दो सप्ताह के भीतर इस प्रपत्र को भर कर सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को वापस कर देंगे और यदि आपको प्रपत्र भरने में किसी प्रकार के मदद की आवश्यकता है, तो आप एक फोन कॉल कर सकते हैं, आपको फॉर्म भरने में या आपके प्रश्नों का उत्तर, यदि कोई हो तो, देने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। यदि परिवार में अन्य वयस्क सदस्य हैं, तो उन्हें भी चेक फॉर्म के लिए सहमति पूरी करनी चाहिए (फोस्टर केयर पर उपयोगकर्ता गाइड का अनुलग्नक एचएफसी 4) और पंजीत मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए।

चरण 4 मूल्यांकन

फोस्टर केयर प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, सीईएसी के लिए आपको, आपके परिवार और रहने की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि यदि आप फोस्टर माता–पिता बनने के लिए चयनित होते हैं, तो हम फोस्टर केयर में लिए गए आपके बच्चे की देखभाल के लिए आपको आवश्यक सहयोग प्रदान करना जारी रख सकें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए हम आपसे कुछ बहुत ही व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए आग्रह सकते हैं और आपके घर भी भ्रमण करेंगे। हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपको असामान्य लगे और आपको यह महसूस हो कि ऐसे प्रश्न अनावश्यक पूछे जा रहे हैं। हालाँकि, आपकी सभी प्रतिक्रियाएँ आपको आवश्यक सहायता प्रदान करने में हमारे लिए सहायक होंगी।

4.1 प्रक्रिया

i. यदि आप अभी भी एक फोस्टर माता–पिता बनने के इच्छुक हैं, तो सबसे पहले आपको Self Assessment Form भरना होगा और इसे सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को या तो सीधे कार्यालय में या डाक के माध्यम से जमा करना होगा।

ii. यदि आपको फॉर्म के किसी भी भाग को समझने में कठिनाई महसूस होती है और फॉर्म भरने में किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता है, तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से संपर्क करें, जिन्होंने आपको फॉर्म प्रदान किया है। फॉर्म में आपको दो सन्दर्भ व्यक्तियों का विवरण देने की आवश्यकता होगी, जिनसे आपके विषय में बेहतर जानने के लिए संपर्क किया जाएगा। ये व्यक्ति आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, लेकिन आवश्यक है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हों। आपके द्वारा चुने गए रेफरी के पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और वो आपके बारे में टिप्पणी प्रदान करने में ईमानदार और खुले रहने को तैयार हों। कृपया ध्यान दें कि आपके साथ रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति, पुलिस रिकॉर्ड की जाँच, संदर्भ व्यक्तियों का विवरण और आपके एवं आपके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा जांच अगले चरण में जाने के लिए महत्वपूर्ण है।

iii. साक्षात्कार सत्र के दौरान, सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आपके और आपके परिवार के बारे में व्यक्तिगत विवरण पूछेंगे ताकि आपके परिवार की संरचना और डायनेमिक्स की स्पष्ट तस्वीर मिल सके। उक्त प्रतिनिधि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, बचपन के अनुभव, चिकित्सा इतिहास, शिक्षा, काम, जीवनसाथी और बच्चों के साथ आपके संबंधों से सम्बंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, साथ ही, यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आप और आपके परिवार के अन्य सदस्य एक बच्चे की फोस्टरिंग के विषय में कैसा महसूस करते हैं।

iv. एक बार सभी पूर्ण किए गए फॉर्म और चेक और रेफरल हो जाने के बाद, सीईएसी/डीसीपीयू यह निर्धारित करेंगे कि क्या आप फोस्टर माता–पिता बनने के लिए मापदंड और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आपको इस निर्णय के बारे में औपचारिक रूप से सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि के द्वारा सूचित किया जाएगा।

v. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि यह निर्धारित करने एवं इस विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए कि, क्या यह आपका घर रखे जाने वाले एक फोस्टर बच्चे के लिए उपयुक्त है, आपके घर का विजुअल असेसमेंट (दृश्य मूल्यांकन)भी करेंगे।

vi. सम्बंधित कर्मी होम विजिट के दौरान देखे जाने वाले बिंदुओं के बारे में आपको विस्तारपूर्वक सलाह देंगे। इनमें निम्नलिखित कुछ बुनियादी चीजें शामिल हैं:

बच्चे के लिए आपके घर में एक उपयुक्त जगह है, जिसमें पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन है,

क. आपके घर में बुनियादी स्वच्छता, पानी और बिजली उपलब्ध है,

ख. घर में खाना पकाने की सुविधा बुनियादी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप है,

ग. घर आम तौर पर स्वच्छ और रहने के लिए उपयुक्त है,

ड. क्या पड़ोस सामान्य तौर पर बच्चे के लिए सुरक्षित है,

च. क्या घर में कोई चिकित्सा से सम्बंधित मुद्दे हैं,

छ. यदि घर का उपयोग व्यवसाय की जगह के रूप में भी किया जाता है,

ज. यदि घर में ऐसे कई लोग हैं जो अस्थायी रूप से रहा करते हैं

[23] Refer User Guide on Foster Care, 2018

vii. अगर यह महसूस किया जाता है कि कुछ आकलन न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, आपको उसमें परिवर्तन करने का अवसर दिया जाएगा ताकि प्रक्रिया अगले चरण पर ले जाया जा सके।

viii. यदि परिवर्तन करने के अवसर दिए जाने के बाद भी, सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि की राय बनती है कि फोस्टरिंग की न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको स्पष्ट रूप से इन कारणों को समझाया जाएगा।

4.2 फोस्टर माता–पिता की जिम्मेदारी

i. अपने घर पर सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था करें।

ii. यह सुनिश्चित करें कि आप और घर में रहने वाले अन्य लोग साक्षात्कार सत्र के दौरान उपस्थित हों।

iii. साक्षात्कार के दौरान ईमानदार रहें और सभी सवालों का सच्चाई से जवाब दें।

iv. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को अपने घर का लेआउट दिखाएं, जहां फोस्टर बच्चा सो रहा होगा, और यदि पड़ोस में बच्चे के लिए कोई संभावित जोखिम की सम्भावना है, तो इसे भी स्पष्ट उजागर करें।

v. साक्षात्कार के दौरान उठाए गए किसी भी चिंता के विषय या मुद्दों को दूर करने के लिए कृपया सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि के साथ काम करें।

4.3 सीईएसी/डीसीपीयू से सहयोग

सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि उन बिंदुओं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता हो सकती है, की पहचान करने में आपकी सहायता करेंगे और इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए सलाह भी प्रदान कर सकते हैं ताकि सीडब्ल्यूसी से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

चरण 5 प्री–सर्विस फोस्टर केयर ट्रेनिंग

एक फोस्टर देखभालकर्ता बनना चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है और यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपना ध्यान उस भूमिका पर केंद्रित करें, जो आप बच्चे के जीवन में निभा रहे हैं। भले ही आप अपने बच्चों की परवरिश कर चुके हों, परन्तु जब बच्चे का बचपन मुश्किलों भरा रहा हो आपके लिए प्रशिक्षण लेना और कौशल हासिल करना विशेष रूप से मददगार होगा। प्लेसमेंट से पहले के प्रशिक्षण को प्री–सर्विस फोस्टर केयर ट्रेनिंग तथा बाद के प्रशिक्षण को इन–सर्विस फोस्टर केयर ट्रेनिंग के रूप में जाना जाता है।

आपके घर में बच्चे को रखने से पहले आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करें। यह फोस्टर देखभाल करने वालों का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। घर के सभी वयस्क सदस्यों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकताओं वाले फोस्टर बच्चे घर के डायनेमिक्स को बदल देते हैं इसलिए घर के सभी वयस्कों के लिए विशेष आवश्यकताओं वाले फोस्टर बच्चों की जरूरतों को समझना जरूरी होगा। इसके अलावा, फोस्टरिंग को जारी रखने के लिए वार्षिक रिफ्रेशर्स प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक हो सकता है।

चित्र सौजन्यः कुन्सकैप्सकोलन, गुड़गांव।

5.1 प्रक्रिया

1. चूंकि आप अपने सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि के साथ मिलकर काम करेंगे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रशिक्षण में सक्रियता से भाग लें, प्रश्न पूछें और प्रशिक्षण के दौरान अपनी चिंता के मुद्दों को स्पष्टता से उठाएं।

2. प्रशिक्षण सत्र किसी ऐसी जगह पर आयोजित किया जाएगा जो सुलभता से उपलब्ध हो और जो अन्य माता–पिता के साथ आपके अनुभवों को साझा करने और अन्य सुधार के क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान हो।

3. प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय को कवर किया जाएगाः

- फोस्टर केयर से संबंधित कानूनी प्रावधान
- फोस्टर केयर प्रणाली को समझना
- फोस्टर केयर के डायनेमिक्स को समझना
- फोस्टर माता–पिता बनने के लिए प्रक्रिया और चरण
- सकारात्मक बाल विकास में सहयोग करना
- सुरक्षित देखभाल
- फोस्टर केयर में देखभाल के निर्धारित मानक
- बच्चों की देखभाल के लिए बुनियादी कौशल
- साथ काम करना

चित्र सौजन्यः कुन्सकैप्सकोलन, गुड़गांव।

5.2 फोस्टर माता–पिता की जिम्मेदारी

i. आपको सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि द्वारा प्रशिक्षण सत्रों की तारीख, समय और स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमे आप अपने जीवनसाथी के साथ शामिल होंगे।

ii. यदि आपको किसी भी कारण से सत्र में भाग लेने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो कृपया अपने सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि को सूचित करें ताकि वे आपकी समस्या से अवगत हों और आपकी सहायता करने के उपाय तलाश कर सकें।

iii. कृपया सीईएसी / डीसीपीयू द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण सत्रों में भाग लें और पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करें।

iv. प्रशिक्षण सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लें और अन्य इच्छुक फोस्टर माता–पिता के साथ अपने अनुभवों को साझा करें।

v. इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान, सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि आपको बुनियादी ज्ञान और आवश्यक कौशल हासिल हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करते रहेंगे ताकि आप अपने फोस्टर बच्चे की सबसे अच्छी देखभाल प्रदान सकें।

vi. सभी आवश्यक प्रशिक्षण सत्रों को पूरा करने पर, आपको भागीदारी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाणपत्र का मतलब यह नहीं है कि आपको पालक माता–पिता के रूप में चुना गया है। इसके लिए आपको सीईएसी / डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी के माध्यम से होने वाली अंतिम चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

5.3 सीईएसी/डीसीपीयू से सहयोग

i. सीईएसी / डीसीपीयू प्रशिक्षण सत्र का संचालन करेंगे और आपको अंग्रेजी या हिंदी भाषा में प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करेंगे।

ii. सीईएसी / डीसीपीयू आपके कार्य के समय–सारणी, सुरक्षा और यात्रा की व्यवस्था, चाइल्ड केयर की आवश्यकता और अन्य मुद्दों पर विचार करने का प्रयास करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको सत्र में भाग लेने में न्यूनतम कठिनाइयों का सामना करना पड़े।

चरण 6 चयन

चयन प्रक्रिया वह चरण है जहां आपके द्वारा प्रथम चरण में फोस्टर माता–पिता बनने के लिए दिए गए आवेदन के समय से लेकर असेसमेंट तक प्राप्त की गई सभी जानकारियों का प्रयोग अब यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा कि क्या आप कार्यक्रम के लिए चुने जाने के लिए उपयुक्त हैं। यह निर्णय सीईएसी / डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है जो कि एक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि चयन की यह प्रक्रिया आपके और आपके परिवार या माता–पिता के रूप में आपकी क्षमता पर एक निर्णय नहीं है।

i. यदि आपको और / या आपके पति को किसी प्रकार के संचारी रोग से ग्रसित पाया गया है, तो सीईएसी / डीसीपीयू यह तय करेगा कि चयन प्रक्रिया के लिए अपने आवेदन को जारी रखना है या वापस लेना है।

ii. एक बार जब आप प्रशिक्षण समाप्त कर लेते हैं, तो आपको अपने जीवनसाथी के साथ सीडब्ल्यूसी का दौरा करने के लिए बुलाया जाएगा। सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा सुझाए गए परिवर्तन कर दिए गए हैं।

iii. अधिक समायोजन या सुधार किए जाने की आवश्यकता की स्थिति में सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि यह बताएंगे कि क्या किए जाने की आवश्यकता है और परिवर्तनों को करने के लिए जहां आवश्यक होगा, उनका समर्थन करेंगे। आपको इन परिवर्तनों को पुनः करने के लिए अधिक से अधिक समय और सहायता दी जाएगी।

iv. फोस्टर माता–पिता बनने के लिए मेडिकल चेक–अप और पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। चिकित्सा जांच यह पुष्टि करने के लिए है कि आप और आपका परिवार क्षय रोग, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी आदि से मुक्त हैं, जो बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं।

v. इसी तरह, अगर पुलिस सत्यापन में, कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, तो आवेदन को पालक माता–पिता बनने के लिए माना जाएगा।

vi. यदि आपका आवेदन फोस्टर केयर सेलेक्शन कमेटी (सीईएसी / डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी) द्वारा अनुमोदित नहीं है, तो आपको तदनुसार सूचित किया जाएगा।

6.1 पालक माता–पिता की जिम्मेदारी

i. साक्षात्कार के सवालों का जवाब ईमानदारी से एवं अपने सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दें।

ii. सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि को अपने घर और पड़ोस का गहन मूल्यांकन करने की अनुमति दें।

iii. सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि द्वारा सुझाई गई अपने घर या स्थिति में आवश्यक सुधार करें।

iv. चिकित्सा जांच किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या एमबीबीएस डॉक्टर से ही करवाएं।

v. यदि आवश्यक हो, तो किसी भी संचारी रोग का ईलाज करवाने के लिए सहमत हों और सभी अनुवर्ती अपॉइंटमेंट्स में भाग लें।

vi. यदि आवश्यक हो, तो बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए ब्म्।ब्क्ब्च् प्रतिनिधि द्वारा बताये गये रोकथाम के उपायों को अपनाएं।

6.2 सीईएसी/डीसीपीयू से सहायता

i. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि प्रक्रिया के अगले चरण की ओर बढ़ने में सक्षम होने हेतु आपके घर और स्थिति में कोई भी परिवर्तन करने में आपको सहायता प्रदान करेंगे।

ii. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि संबंधित पुलिस स्टेशन से पुलिस सत्यापन की व्यवस्था करेंगे।

चरण 7 फोस्टर माता–पिता के साथ बच्चे का मिलान

एक बार जब आप एक पालक माता–पिता बनने के लिए चुने गए हैं, तो हम यह पूर्णतया सुनिश्चित करेंगे कि किसी ऐसे बच्चे को आपके घर में रखें जो बच्चे की जरूरतों के आधार पर और आपका परिवार को क्या प्रदान करने में सक्षम है, के आधार पर आपके परिवार में सबसे फिट होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आपका परिवार किसी फोस्टर बच्चे से मेल नहीं खाता है, तो इसका कदापि अर्थ यह नहीं है कि आप पालक माता–पिता बनने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि सीईएसी/डीसीपीयू कई कारकों, जैसे कि बच्चे की उम्र, लिंग, स्वभाव, तात्कालिक और दीर्घकालिक जरूरतों, आपके परिवार, घर के स्थान, और कई अन्य संभावित कारकों के आधार पर एक अच्छा मैच खोजने में सक्षम नहीं था। यदि एक पालक बच्चे को आपके परिवार से मैच किया गया है, तो इस प्रक्रिया के दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और आपको यह तय करने के लिए समय लेना चाहिए कि क्या चयनित बच्चा आपके और आपके परिवार के अनुरूप होगा।

7.1 प्रक्रिया

i. यदि फोस्टर माता–पिता फोस्टर केयर देखभाल की व्यवस्था से सहमत हैं, तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आपको नियमों और शर्तों के बारे में बताएंगे, जिनमें आपके उपलब्ध संसाधन और बच्चे की जरूरतों के आधार पर सीईएसी/डीसीपीयू द्वारा आपके लिए उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधन, शामिल होंगे।

ii. फिर आप फोस्टर पेरेंट्स (फॉर्म 33) द्वारा अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करके सीईएसी/डीसीपीयू के साथ एक समझौता करेंगे। इस फॉर्म को आपके सुविधानुसार आपको समझ में आने वाली भाषा में अनुवादित किया जाएगा।

iii. एक बार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि बच्चे को आपके घर में स्थानांतरित करने के लिए तैयार करेगा।

7.2 फोस्टर माता–पिता की जिम्मेदारी

i. आपको यह तय करना चाहिए कि बच्चे को अपने घर में स्वीकार करना है और अपने परिवार के हिस्से के रूप में उसकी देखभाल करनी है या नहीं। यह निर्णय लेने से पहले सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें।

ii. बच्चे की यात्रा के दौरान, बच्चे का स्वागत करने का अवसर प्राप्त करें और बच्चे को अजीब या असहज महसूस कराए बिना उसे जानने–समझने की कोशिश करें। बच्चे को अपना और अपने परिवार का परिचय दें लेकिन ऐसे सवाल कदापि न पूछें जो अत्यधिक व्यक्तिगत हों। पसंद और नापसंद के बारे में सवाल और सामान्य रुचि के प्रश्न आमतौर पर काफी सुरक्षित होते हैं।

iii. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि के साथ चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि आप फोस्टर माता–पिता द्वारा अंडरटेकिंग (फॉर्म 33) पर हस्ताक्षर करने से पहले फॉस्टर केयर व्यवस्था के नियमों और शर्तों को अच्छी तरह समझ रहे हैं।

iv. फॉस्टर केयर व्यवस्था के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए अपनी इच्छा को इंगित करने के लिए अंडरटेकिंग (फॉर्म 33) पर हस्ताक्षर करें।

7.3 सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से सहयोग

i. एक बार जब बच्चे को आपके परिवार के साथ रखने के लिए चुना गया है, तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेंगे और आपको बच्चे के संक्षिप्त विवरण जैसे कि उसका बायो–डेटा और अन्य महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि की मौखिक जानकारी प्रदान करेंगे। ऐसे में आपको उनसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछना चाहिए या अपनी चिंता प्रकट करनी चाहिए, यदि कोई हो।

ii. एक बार जब आप इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि बच्चे को लेकर आपके और आपके परिवार से मिलने के लिए आपके घर पर आएंगे।

iii. बच्चे की यात्रा के दिन, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बच्चे को बेहतर तरीके से जानने और उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। इसी तरह, बच्चे को आपके परिवार को भी जानना होगा। बच्चा अपने दृष्टिकोण से आपके घर का एक मुआयना करेगा, विशेषकर जहाँ वह सो रहा होगा। आवश्यकतानुसार किसी सप्ताहांत या छुट्टियां आदि दिनों में एक से अधिक ऐसी यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है।

iv. भ्रमण के बाद, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ चर्चा करने के लिए कुछ समय लें कि यदि आप बच्चे को फोस्टर केयर में रखना चाहते हैं तो क्या बच्चा आपके परिवार के लिए फिट है, और एक बार जब आप तय कर लें, तो इसकी सूचना अपने सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को दें। साथ ही, बच्चे को यह सोचने में भी थोड़ा समय देना होगा कि क्या उसे लगता है कि आपका परिवार उसके के लिए फिट है, अगर हाँ तो वह सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को इस विषय में बताएगा।

v. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि जिस भी संसाधन की आवश्यकता है, और जहां आवश्यक हो, अपने फोस्टर बच्चे के लिए अनुकूल बनाने के लिए आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे।

vi. आपको निर्णय लेने में मदद करने के लिए सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि बच्चे के बारे में अधिक जानकारी, जहां उपयुक्त और प्रासंगिक है, प्रदान करेंगे।

vii. अगर आपको किसी भी प्रारूप या समझौतों को समझना मुश्किल लग रहा है तो एक अनुवादक या दुभाषिया उनका अनुवाद करने में आपकी सहायता करेगा।

चरण 8 फोस्टर परिवार के साथ फोस्टर बच्चे का प्लेसमेंट

फोस्टर बच्चे की देखभाल करने से आपके परिवार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। आपका परिवार घर में एक नए सदस्य आने के लिए उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन साथ ही, वे इसके लिए अनिश्चित भी हो सकते हैं कि फोस्टर बच्चा परिवार को किस प्रकार प्रभावित करेगा। फोस्टर बच्चे को आपकी सुरक्षा में रहने के लिए एक उचित स्थान मिल जाने से राहत महसूस हो सकती है, लेकिन वह बच्चा मन ही मन अजनबियों के साथ रहने में भय और चिंता भी महसूस कर सकता है। वह सोच सकता है कि क्या आपका परिवार वास्तव में उसे स्वीकार कर रहा है और वास्तव में उसकी देखभाल कर रहा है। इसलिए, उन्मुखीकरण प्रक्रिया के माध्यम से आपको और आपके पालक बच्चे दोनों को सहयोग प्रदान किया जाता है ताकि एक साथ उम्मीदों पर काम करने का अवसर मिल सके और साथ में चिंताओं और आशंकाओं को दूर किया जा सके ताकि रिश्ते को बढ़ावा देने का कार्य सही पायदान पर शुरू हो।

8.1 प्रक्रिया

i. फोस्टर बच्चे के परिवार में जाने से पहले, सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को सहज बनाने के लिए बिस्तर, आलमीरा इत्यादि जैसी सभी व्यवस्थाएं की जाएं।

ii. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आपको पालक बच्चे के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेंगे जिसे जानना आपको उसकी जरूरतों और देखभाल योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा। इस समय, केयर प्लान साझा किया जाएगा, जो व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) पर आधारित होगा और प्लेसमेंट को सुरक्षित और जितना संभव हो उतना आरामदायक बनाने के लिए आपकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को चिन्हित करने में आपकी मदद करेगा।

iii. जिस दिन आपका फोस्टर बच्चा आपके साथ आएगा, उस दिन एक उन्मुखीकरण सत्र के लिए सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि एक एजेंडा की योजना बनाएँगे। उन्मुखीकरण सत्र एक अनौपचारिक आयोजन होगा जो घर में फोस्टर बच्चे का स्वागत करने और फोस्टर बच्चे को उसके नए परिवार के साथ सहज महसूस कराने में मदद करेगा।

iv. बच्चे का स्वागत करने और आरामदायक महसूस करने के लिए सीईएसी उसके आने के दिन का निम्लिखित बातों को अमल करने का सुझाव देता है:

- फोस्टर परिवार फोस्टर बच्चे को उसके सामान को कमरे में ले जाने में मदद करेंगे।
- परिवार के सारे व्यक्ति एक कमरे में एकत्रित होंगे तथा साथ में कुछ हल्का जलपान करेंगे।
- सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि कुछ परिचयात्मक टिप्पणी करेंगे तथा उन्मुखीकरण के एजेंडे को रेखांकित करेंगे।
- हर व्यक्ति खुद का परिचय देंगे और बताएंगे की वो खुद को कैसे बुलाया जाना चाहते हैं, और शायद अपने बारे में कुछ मजेदार तथ्य कहेंगे।
- सभी को एक–दूसरे के साथ संवाद करने और बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आइसब्रेकर की व्यवस्था की जाएगी।

8.2 फोस्टर देखभाल करने वालों की जिम्मेदारी

- बच्चों को महसूस करवाना की परिवार में उसकी जरूरत है और पर्याप्त स्वागत करना।
- उम्र और व्यक्तित्व के आधार पर, फोस्टर बच्चे को भी फोस्टर परिवार को कुछ कहने का अवसर दिया जा सकता है।
- परिवार के मुखिया निम्न विषय के बारे में बात कर सकते हैं:

1. परिवार में कौन क्या करता है?
2. परिवार की दिनचर्या कैसी है?
3. स्कूलिंग, प्ले टाइम, टीवी आदि के बारे में।
4. किससे और किस प्रयोजन के लिए अनुमति लेनी है?
5. परिवार के बाहर के लोगों को फोस्टर बच्चे का परिचय कैसे दिया जाय?

8.3 सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से सहयोग

सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि बात–चीत प्रारम्भ करने और तालमेल बनाने के लिए उन्मुखीकरण सत्र की योजना बनाएँगे।

चरण 9 प्लेसमेंट के दौरान केयर प्लानिंग/प्लेसमेंट की निगरानी

एक फोस्टर माता–पिता के रूप में, आप फोस्टर बच्चे को अपनी देखभाल योजना को कार्यान्वित करने में उनकी पूरी मदद और सहयोग करेंगे। साथ ही, उसके साथ उपस्थित होकर उसके समग्र विकास में निम्नांकित योगदान देंगे:

- बच्चे के भौतिक आवश्यकताओं यानि भोजन, कपड़े और आश्रय, को पूरा करना
- उनके भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ती, जैसे अपने फोस्टर बच्चे पर ध्यान देकर, उनको को मूल्यवान महसूस कराना, और उनकी मदद करना ताकि वो समुदाय में शामिल हो सकें।
- व्यवहार के प्रबंधन और फोस्टर बच्चे के जीवन में संरचना प्रदान करके उनके व्यवहार सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करना।
- बच्चे के जैविक माता पिता से संपर्क करे यदि, यह बच्चे के लिए हानि कारक नहीं है।

आप सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को भी सहयोग प्रदान करेंगे, जो नए वातावरण में फोस्टर बच्चे की मदद करते हैं ताकि वो सहज महसूस कर सकें, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने तथा फोस्टर केयर प्रोग्राम को छोड़ने के बाद उसे स्वतंत्र रूप से जीने के लिए तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं।

9.1 प्रक्रिया

i. प्लेसमेंट के प्रथम माह में, सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि और सीडब्ल्यूसी शुरू में पहले महीने में हर हफ्ते परिवार का दौरा करेंगे। इसके बाद, प्लेसमेंट की समीक्षा करने के लिए अगले छह महीनों तक वो परिवार का दौरा माह में एक बार करेंगे। सात माह पूरा होने पर, दौरा प्रत्येक छह माह पर किया जाएगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चा फोस्टर परिवार के साथ अच्छे से रहा रहा है।

ii. यह महत्वपूर्ण है कि आप सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि के साथ देखभाल योजना से संबंधित जानकारी को अपडेट और साझा करें। आप कुछ कार्यों को लागू करने हेतु मार्गदर्शन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए, अगर आवश्यक हो तो, इस हैंडबुक के अनुभाग III का भी उल्लेख कर सकते हैं।

iii. यह भी महत्वपूर्ण है कि सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि घर के बाहर फोस्टर बच्चे से मिलें ताकि बच्चों को अलग से उनके व्यक्तिगत और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति दी जा सके। आपके फोस्टर बच्चे के निजता के अधिकार का सभी पक्षों द्वारा सम्मान किया जाएगा। सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि फोस्टर बच्चे से पूर्व अनुमति के साथ केवल उनके द्वारा उठाए गए उन्हीं मुद्दों, यदि वे आपको जानने के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं, पर चर्चा करेंगे ।

iv. प्लेसमेंट अवधि के दौरान, आपके लिए निरंतर इन–सर्विस फोस्टर केयर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाएंगे। निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको कौशल को अपडेट करने और फोस्टर माता–पिता के रूप में नए कौशल प्राप्त करने का अवसर देता है। इस प्रशिक्षण में उन नए सरोकारों को शामिल किया जाएगा जो प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कवर नहीं किए गए थे और वर्तमान के उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनका सामना माता–पिता को करना पड़ रहा है। इस प्रकार के प्रशिक्षण समय–समय पर आयोजित किये जाएंगे। हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं कि आप इन सत्रों में भाग लेने का प्रयास करें। यदि आप एक विकलांग बच्चे की फोस्टरिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।

v. जब फोस्टर बच्चे को आपकी देखभाल के तहत रखा जाता है, तो आपको और फोस्टर बच्चे को प्लेसमेंट के लिए केयर प्लान तैयार करने और लागू करने में सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि सहयोग प्रदान करेंगे। वस्तुतः केयर प्लान में वो सारे लक्ष्य सूचीबद्ध होते हैं, जिन्हें साथ मिलकर हासिल करने की आवश्यकता होती है। ये लक्ष्य और क्रियाएं फोस्टर बच्चे के लिए विशिष्ट और हर बच्चे के लिए अलग–अलग होती हैं। एक बार जब लक्ष्यों पर सहमति बन जाती है, उसकी लिखित रूप रेखा बनायी जाएगी जिसकी एक–एक प्रति आपको और फोस्टर बच्चे को दी जाएगी।

vi. सीईएसी फोस्टर पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स का भी आयोजन करेगा, जो आपको अपने अनुभवों और चुनौतियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। फोस्टर पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स एक नियमित बैठक है जिसमें अन्य फोस्टर माता–पिता शामिल होते हैं जो जिले/राज्य में बच्चों की फोस्टरिंग कर रहे हैं। यह एक–दूसरे को प्रोत्साहित करने, सामने आ रही चुनौतियों को साझा करने और एक–दूसरे का सहयोग करने के लिए सुझावों और सलाह इत्यादि पर चर्चा करने के लिए एक साथ मिलने का अवसर जैसा है। सहायता समूह की बैठक सीईएसी/डीसीपीयू द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा आयोजित की जाएंगी और आपके लिए इसमें शामिल होना अनिवार्य है। उक्त बैठकों का आयोजन तीन महीने में एक बार फोस्टर माता–पिता की उपलब्धता के आधार पर किसी एक तिथि को किया जा सकता है।

vii. कभी–कभी किसी फोस्टर बच्चे के साथ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसे आप स्वयं हल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस विषय में सलाह या किसी प्रकार के हस्तक्षेप के लिए आप किसी भी समय सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं।

viii. यदि आपको लगता है कि आप बच्चे के लिए फोस्टर केयर प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको अपने सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से संपर्क करना चाहिए और इसके पीछे के कारणों को उन्हें स्पष्ट तौर पर समझाना चाहिए। सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आपके साथ काम कर ऐसे मुद्दों को हल करने में आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान, फोस्टर बच्चे से भी परामर्श किया जाएगा। यदि सभी प्रयास कर लिए गए हैं और यह निर्धारित किया जा चुका है कि प्लेसमेंट समाप्त हो जाना चाहिए, तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि बच्चे के आपके को घर छोड़ने के लिए तैयार करने के लिए डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी से संपर्क करेंगे।

9.2 फोस्टर माता–पिता की जिम्मेदारी

i. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को केयर प्लान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करना। अपने फोस्टर बच्चे की विकासात्मक प्रगति से सम्बंधित प्रतिक्रिया देते रहना।

ii. प्रशिक्षण सत्र और फोस्टर पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप की बैठकों में तत्परता से भाग लेना।

iii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप देखभाल के न्यूनतम मानकों को पूरा कर रहे हैं, हैंडबुक को सन्दर्भ के रूप में इस्तेमाल करना और विशेष रूप से हैंडबुक के भाग 2 का इस्तेमाल कर दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अपने पालक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं में भाग लेना।

iv. जैविक परिवार से संपर्क जारी रखे।

9.3 सीईएसी/डीसीपीयू से समर्थन

i. सीईएसी/डीसीपीयू आपको संसाधनों, निरंतर प्रशिक्षण, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों में निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए सहायता समूहों के संदर्भ में सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। फोस्टर माता–पिता के रूप में आपकी भूमिका से सम्बंधित किसी भी मुद्दे पर सहायता के लिए सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आपकी मदद करेंगे।

ii. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि बच्चे के लिए एक केयर प्लान विकसित करेंगे और आपकी मदद से इसे लागू करने में बच्चे के साथ काम करेंगे। सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आपके फोस्टर बच्चे के बारे में किसी भी मुद्दे पर आपकी सहायता करेंगे।

iii. पालक परिवार के अनुरोध पर सीईएसी या डीसीपीयू प्रतिनिधि, पालक बच्चे के साथ जैविक माता–पिता की निगरानी बैठक सुनिश्चित करेगा।

उदाहरण: एक बच्चे की चिकित्सीय आवश्यकताओं के सन्दर्भ में, फोस्टर बच्चे के प्रारंभिक चिकित्सा स्क्रीनिंग या मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन इत्यादि जैसे अल्पकालिक लक्ष्यों में सहयोग करना शामिल हो सकता है। जबकि एक स्वस्थ और सहायक वातावरण का निर्माण करना बच्चे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य हो सकता है।

उदाहरण: एक बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए, अल्पकालिक लक्ष्यों में एक उपयुक्त स्कूल खोजना शामिल हो सकता है जो बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एक दीर्घकालिक लक्ष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चे के साथ शामिल होना हो सकता है कि वह लगातार स्कूल में भाग ले रहा है और अपने भविष्य के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त कर रहा है।

स्टेज 10. देखभाल से बाहर निकलने की तैयारी

आपके लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि फोस्टर केयर एक अस्थायी व्यवस्था है और फोस्टर बच्चे को अंततः आपकी देखभाल से बाहर निकलना है। जब फोस्टर केयर व्यवस्था समाप्त हो जाती है, तो इसका असर आप पर, उस बच्चे पर और आपके परिवार पर पड़ सकता है, खासकर यदि आप सभी के बीच एक बंधन विकसित हुआ है। इसी समय, फोस्टर बच्चे के लिए यह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होने के दृष्टिकोण से रोमांचक भी हो सकता है। आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि आपने अपने पालक बच्चे के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, फोस्टर बच्चा एक वयस्क के रूप में परिणत हो चुका है और स्वतंत्र जीवन के लिए उत्साहित है, इसका कदापि अर्थ नहीं है कि वह आपके साथ सभी संबंधों को तोड़ देगा। फोस्टर बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए संभावना है कि वह आपके पास वापस आ जाएगा। यह सुझाव दिया जाता है कि जब बच्चे आपके देखभाल से बाहर निकल जाएँ तब भी आप उन्हें सहयोग करना जारी रखें और बच्चे के वापस आने के लिए हमेशा अपना घर खुला रखें। यह दर्शाता है कि वे आप पर भरोसा करते हैं और आपको अपने माता–पिता के रूप में मानते हैं जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में उनका साथ देंगे।

10.1 प्रक्रिया

i. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि फोस्टर बच्चे के 18 वें जन्मदिन या किसी अन्य उम्र के अनुसार से कम से कम 1-2 साल पहले (या किसी अन्य उपयुक्त अवधि के अनुसार) परिवार को छोड़ने के लिए फोस्टर बच्चे को पहले से तैयार करना शुरू कर देंगे। सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आपको उस तिथि के बारे में सूचित करेंगे, जब पालक बच्चे को आपके घर को छोड़ना है।

ii. फोस्टर बच्चे को परिवार छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि फोस्टर केयर छोड़ने के बाद उसके पास रहने के लिए एक जगह हो और वह स्वतंत्र रूप से रहने और तदनुसार स्वयं का समर्थन करने में सक्षम है। सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि फोस्टर बच्चे के लिए नए आवास खोजने में आपकी सहायता ले सकते हैं।

iii. कभी–कभी संभव है कि फोस्टर बच्चे का प्रबंधन आपके परिवार की क्षमता से परे साबित हो जाए और आप समय से पहले नियुक्ति को समाप्त करने पर विचार करने लगें। आपकी पारिवारिक स्थिति में भी बदलाव हो सकते हैं, जिसके कारण आपके लिए फोस्टर बच्चे की देखभाल करना मुश्किल हो सकता है।

iv. इससे पहले कि आप प्लेसमेंट को समाप्त करने का कठिन निर्णय लें, आपको निम्नलिखित में से कुछ पर सोचने या कार्रवाई करने की सलाह दिया जाता है:

- यह पहचान करने का प्रयास करें कि फोस्टर बच्चे के व्यवहार से आपके परिवार को कैसे नुकसान या संकट हो रहा है, या आपकी परिस्थिति में ऐसी कौन सी समस्या है जिससे आपके लिए फोस्टर बच्चे की देखभाल मुश्किल हो रही है।
- यदि यह चुनौती आपके फोस्टर बच्चे के व्यवहार से सम्बंधित है, तो आप प्रशिक्षण सत्र और फोस्टर पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप की बैठकों के दौरान विशेषज्ञों और फोस्टर माता–पिता से व्यवहार का प्रबंधन करना सीख कर अपने घर पर अभ्यास में ला सकते हैं। आप सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से भी संपर्क कर फोस्टर बच्चे के बारे में स्पष्ट समझ और उनके चुनौतीपूर्ण व्यवहार के प्रबंधन करने के तरीकों का पता लगा सकते हैं।
- यदि चुनौती आपके परिवार या आपके जीवन के किसी ऐसी परिस्थिति से सम्बंधित है जो आपके लिए फोस्टर बच्चे की देखभाल के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, तो इन चुनौतियों पर अपने सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि के साथ चर्चा करें जो उन्हें कम करने के लिए आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे।

v. आने वाली नई चुनौतियों को कम करने की योजना बनाने के लिए आप परिवार के सभी सदस्यों को मदद करने के लिए शामिल कर सकते हैं।

vi. यदि आपने उपरोक्त सारे प्रयास कर लिए हैं और तब भी आपको लगता है कि आपको प्लेसमेंट समाप्त कर देना चाहिए, तो अपने सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से संपर्क करें और उन्हें फोस्टर केयर व्यवस्था को समाप्त करने के अपने निश्चय के बारे में बताएं।

vii. सीईएसी/डीसीपीयू आपके परिवार की भलाई और फोस्टर बच्चे की सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर परिस्थितियों का आकलन करेगा और यदि समाप्ति को सबसे अच्छा समाधान पाया जाता है, तो सीडब्ल्यूसी के समन्वय से सीईएसी/डीसीपीयू फोस्टर बच्चे के लिए अन्य विकल्प खोजने की व्यवस्था करेगा।

10.2 बच्चे द्वारा प्लेसमेंट का समापन

i. कुछ परिस्थितियों में, फोस्टर बच्चा निर्धारित समयावधि पूरा होने से पहले ही फोस्टर केयर छोड़ने का फैसला कर सकता है। इस बारे में वह आपको सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को सूचित कर सकता/सकती है।

ii. यदि फोस्टर बच्चा आपको फोस्टर केयर छोड़ने के अपने इरादे के बारे में सूचित करता है, और यदि वह आपके साथ इसे साझा करने में सहज महसूस करता है, तो आप यह जानने का प्रयास करें कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है? फिर आपको इस विषय में तुरंत सम्बंधित सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को सूचित करना चाहिए। सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमे स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में वो आपकी सहायता ले सकते हैं।

iii. सभी तथ्यों पर विचार करने और बच्चे के सर्वोत्तम हित को देखते हुए यदि फोस्टर बच्चे के लिए फोस्टर केयर छोड़ने के लिए सहमति व्यक्त की गई है तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आपको निर्णय बताएंगे। साथ ही फोस्टर बच्चे को आपकी देखभाल से निकालकर आगे ट्रांजीशन में मदद के लिए योजना बनाएँगे।

iv. हालांकि फोस्टर बच्चा बाहर निकलने पर स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम हो सके, यह सुनिश्चित करना सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ तक संभव हो आप पूरी प्रक्रिया में एक सहायक की भूमिका निभा सकते हैं।

v. यदि निर्णय के अनुसार फोस्टर बच्चा स्वतंत्र रूप से जीने के लिए तैयार नहीं है, तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि फोस्टर बच्चे को सलाह देने के लिए आपकी सहायता ले सकते हैं। यदि फोस्टर बच्चा किसी भी तरह छोड़ने पर बल देता है, तो उसकी इच्छा का समुचित सम्मान किया जाएगा, और फोस्टर बच्चे को फोस्टर केयर छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी।

10.3 सीईएसी/डीसीपीयू द्वारा समाप्ति

i. यदि सीईएसी/डीसीपीयू को यह ज्ञात होता है कि अब आपके परिवार के साथ रखा जाना या फोस्टर केयर प्रोग्राम में रखा जाना बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं है, तो सीईएसी/डीसीपीयू आपको फोस्टर केयर व्यवस्था को समाप्त करने के इरादे के बारे सूचित करेंगे।

ii. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आपसे बात कर इस निर्णय के कारण से आपको अवगत करायेंगे। आप किसी भी मुद्दे या चिंताओं को स्पष्ट करने के उद्देश्य से उनसे चर्चा कर सकते हैं।

iii. आप सीईएसी/डीसीपीयू या सीडब्ल्यूसी के निर्णय के खिलाफ निर्णय की तारीख के ३० दिनों के भीतर अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रतिनिधित्व या अपील दर्ज कर सकते हैं।[24]

iv. यदि समाप्त करने का निर्णय बरकरार रहता है, तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि फोस्टर चाइल्ड के लिए आपकी देखभाल छोड़ने की व्यवस्था करेंगे।

10.4 फोस्टर माता–पिता की जिम्मेदारी

i. यदि आपका फोस्टर बच्चा प्लेसमेंट लक्ष्य के अनुसार समाप्ति तिथि से पहले फोस्टर केयर छोड़ना चाहता है, तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को सूचित करें ।

ii. यदि आप स्वयं प्लेसमेंट लक्ष्य हासिल करने से पहले फोस्टर केयर व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं तो सीईएसी/डीसीपीयू को सूचित करें

iii. यदि आवश्यक हो, सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि की सहायता करें ताकि बच्चे को फोस्टर केयर से बाहर लाने में मदद मिल सके।

10.5 फॉलो–अप

i. यद्यपि एक बार फोस्टर केयर प्रोग्राम को छोड़ देने के बाद बच्चा अब आपकी देखभाल में नहीं है, फिर भी आप उसे सलाह और मार्गदर्शन दे सकते हैं। फोस्टर केयर प्रक्रिया का आपका अनुभव सीईएसी/डीसीपीयू के लिए मूल्यवान इनपुट भी होगा, जो कि फोस्टर के लिए माता–पिता को सर्वोत्तम सहयोग प्रदान करने के उनके कार्यक्रम का मूल्यांकन करेगा और भविष्य में अन्य बच्चों के लिए फोस्टर केयर कार्यक्रम को सुधारने में मदद करेगा।

ii. जिस दिन बच्चा आपकी देखभाल छोड़ देगा, उस दिन सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। आपको हस्ताक्षर करने के लिए एक डिस्चार्ज फॉर्म दिया जाएगा, जो सीईएसी/डीसीपीयू के साथ आपके समझौते के अंत को दर्शाता है (Order for After Care Form 37)।

iii. देखभाल छोड़ने के बाद भी आपको अपने फोस्टर बच्चे के संपर्क में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

iv. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि या सीडब्ल्यूसी का आपके और आपके जीवनसाथी के साथ एक एक्जिट इंटरव्यू आयोजित करेंगे और फोस्टरिंग के आपके अनुभव को दर्ज करेंगे और भविष्य में फोस्टर बच्चे को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा कोई सुधार किया जा सकता है या नहीं, इस पर ध्यान देने के लिए आपके सुझाव दर्ज करेंगे।

v. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे कि स्वतंत्र जीवनयापन के लिए फोस्टर बच्चे के पास पर्याप्त कौशल और संसाधन हों। सीईएसी/डीसीपीयू को फोस्टर बच्चे को वैकल्पिक देखभाल से जोड़ने की व्यवस्था करेंगे यदि वर्तमान फोस्टर केयर प्लेसमेंट केयर प्लान के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा हो।

vi. समाज कल्याण विभाग, यूनिसेफ, सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू और सीईएसी के संबंधित विभाग सफल आफ्टर प्लेसमेंट से जोड़ने में बच्चे की सहायता करेंगे।

10.6 फोस्टर माता पिता की जिम्मेदारी

i. फोस्टर केयर डिस्चार्ज फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।

ii. अपने फोस्टर बच्चे के साथ संपर्क में रहें ताकि यह पता चल सके कि वह क्या कर रहा हैध्कर रही है और अपने फोस्टर बच्चे को प्रोत्साहित करें।

iii. फोस्टरिंग से जुड़े अपने उत्साहजनक अनुभवों को सीईएसी/डीसीपीयू के साथ साझा करें।

10.7 सीईएसी/डीसीपीयू से सहायता

यदि बच्चे के आपकी देखभाल को छोड़ने के बाद कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है।

[24]धारा 101, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015

पालक देखभालकर्ता के अधिकार

इसमें कोई शक नहीं है बच्चे की देखभाल पालक देखभालकर्ता की जिम्मेदारी है लेकिन टीम के सदस्य के रूप में उनके भी कुछ अधिकार हैं। पालक देखभालकर्ता के अधिकार निम्न हैं:

1. पालक देखभालकर्ता को सीईएसी/डीसीपीयू से पालक बच्चे की सभी जरूरतों के बारे में पूरी और सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
2. यह उनका अधिकार है कि टीम के सभी सदस्य उनका सम्मान करें।
3. यह उनका अधिकार है कि धर्म या जाति के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव न हो।
4. जेजे नियम 44 (अ) का पालन करते हुए उनके पास यह अधिकार है कि वे पांच साल के बाद उसी पालक बच्चे को गोद ले सकते हैं।
5. सीईएसी/डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी से सहयोग प्राप्त करना उनका अधिकार है. इसमें पालक बच्चे के विकास की मासिक समीक्षा और सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि या पालक देखभालकर्ता या पालक बच्चे के आग्रह पर आपतकाल में मिलना शामिल है।
6. जिले की प्रायोजित और पालक देखभाल समिति से स्वीकृति के बाद पालक देखभालकर्ता को नियमानुसार राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है. राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार रकम मासिक/त्रैमासिक दी जा सकती है।
7. पालन के लिए जरूरी प्रशिक्षण और सहयोग प्राप्त करना उनका अधिकार है।
8. पालन देखभाल में बच्चे को स्वीकार करने से पहले बच्चे से मिलना उनका अधिकार है।
9. सीईएसी पालक अभिभावक समिति बनाने की प्रक्रिया में है. यह सभी पालक देखभालकर्ताओं का अधिकार है कि वो ऐसे समितियों का हिस्सा बन सकते हैं ताकि राज्य में पालक देखभाल सेवाएं को बेहतर करने के लिए अपना सुझाव दे सकें।

चित्र सौजन्यः कुन्सकैप्सकोलन, गुड़गांव।

खंड 3

फोस्टर केयर प्लेसमेंट में मुद्दों को समझते हुए स्थायित्व को प्रोत्साहित करना

1. दुर्घटना

एक पालक अभिभावक के रूप में अपने पालक बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपको एहतियायत बरतने की जरूरत है। यदि कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आपको दोशी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यह जानना चाहिए कि यदि पालक बच्चे को चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए। चोट लगने की स्थिति में सबसे पहले यह देखें कि चोट मामूली है या गंभीर?

1.1 मामूली चोट

i. घर पर उपलब्ध फर्स्ट ऐड किट में रखे वस्तुओं से घाव को साफ करने का प्रयास करें।

ii. यदि जरूरत पड़े तो सरकारी अस्पताल के ओ.पी.डी जाएं या किसी चिकित्सक से सलाह लें. सी.ई.ए.सी/डी.सी.पी.यू के प्रतिनिधियों को इस दुर्घटना के बारे में सूचित करें।

iii. चोट जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाए, तब तक पालक बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से करें।

iv. सी.ई.ए.सी/डी.सी.पी.यू के प्रतिनिधियों को आगे के ईलाज के बारे में सूचित करें।

1.2 गंभीर चोट

चोट तब गंभीर होगी जबः

- घाव को ढकने के बाबजूद भी खून निकलना बंद न हो
- हड्डी नजर आ रही हो
- यदि चोट माथे या आंख में लगी हो
- शरीर का बड़ा हिस्सा जल जाए या छाले पड़ जाए या सफेद दाग आ जाए
- रंग या बहुरंग
- चोट अगर चाकू से लगा हो
- अगर किसी जानवर द्वारा काटा गया हो
- चोट अगर किसी धातु से लगा हो
- अगर चोट से छाती में दर्द हो
- सामान्य रूप से बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, यदि उसमें कोई परिवर्तन हो या बच्चे को किसी प्रकार का भ्रम हो रहा हा
- यदि आपका पालक बच्चा चलने में असमर्थ हो
- यदि आपका पालक बच्चा अचेत हो जाए

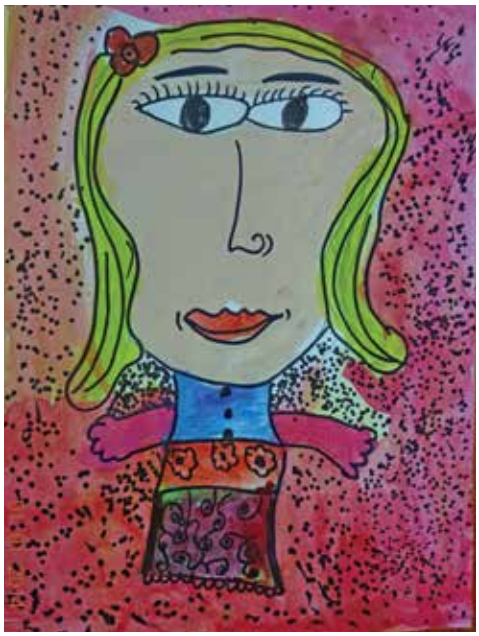

चित्र सौजन्यः कुन्सकैप्सकोलन, गुड़गांव।

1.3 प्रक्रिया

i. सबसे नजदीकी अस्पताल के आपातकाल विभाग से तुरंत चिकित्सीय सलाह लें या एम्बुलेंस से संपर्क करें (102 पर कॉल कर नजदीक के अस्पताल से एम्बुलेंस बुलाएं)।

ii. जब तक एम्बुलेंस न आ जाए तब तक पालक बच्चे को अस्पताल भेजने से पहले फर्स्ट ऐड दें। पालक अभिभावक बनने से पहले आपको दिए जाने वाले प्रशिक्षण में फर्स्ट ऐड का प्रशिक्षण बुनियादी है।

i. दुर्घटना के बारे में, कितनी चोट है, कैसे और कहाँ घटी और फोस्टर चाइल्ड कहाँ उपचाराधीन है इसकी खबर सीईएसीध्डीसीपीयू प्रतिनिधि को फोन तथा इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म (अनुलग्नक 2) के द्वारा दें।

ii. जब फोस्टर चाइल्ड की अस्पताल से छुट्टी हो जाये तो आगे की चिकित्सा पर अनुवर्ती करवाई करें।

iii. भविष्य मे ऐसी दुर्घटना से सावधान कैसे रहे इस बारे मे सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से बात करे।

1.4 पालक अभिभावक की जिम्मेदारियां

i. चयन प्रक्रिया से पहले फर्स्ट ऐड के प्रशिक्षण सत्र में शामिल हों

ii. चोट की गंभीरता के आधार पर चिकित्सीय सहायता लें

iii. सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधियों को घटना से अवगत कराएं और साथ ही जरूरत पड़ने पर आगे की जानकारियां भी साझा करें।

1.5 सीईएसी/डीसीपीयू से सहयोग

i. सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि चिकित्सीय आपातकाल में आपकी मदद करेंगे

ii. सरकारी अस्पताल या स्थानीय चिकित्सालय से ईलाज कराएं, जो सामान्यतः मुफ्त रहते हैं।

2. आरोप और शिकायत

आपके पालक बच्चे को आपके साथ रहते हुए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बच्चा इसे कहने में हिचकिचा सकता है। वह अपने सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि से यह बात कह सकता है। आपको इस बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए कि पालक बच्चे ने आप पर भरोसा नहीं किया क्योंकि पालक बच्चे और आपके बीच घनिष्ठ संबंध बनने में समय लग सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसे लेकर पालक बच्चे को अपने पालक परिवार से शिकायतें हो सकती हैं। परिवार में ऐसा कुछ हो सकता है, जिससे बच्चे को अपने पुराने कटु अनुभव याद आ सकते हैं. आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य द्वारा कहे या किए गए कुछ कार्यों को बच्चे अलग ढंग से समझ सकते हैं। यह उनका एक तरीका भी हो सकता है, जिससे वो पालक अभिभावक पर आरोप लगा कर परिवार से निकलना चाहें। या घर पर ऐसी कोई गंभीर घटना हो सकती है जिससे कोई आरोप लगे। कृपया आप निश्चिंत रहें कि किसी भी स्थिति में एक निष्पक्ष और तटस्थ जांच की जाएगी।

पालक बच्चा सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि या बच्चे से जुड़े किसी व्यक्ति (जैसे शिक्षक, परिजन, मित्र) से भी नाखुश हो सकता है। आपका पालक बच्चा इन लोगों की शिकायत के लिए भी आपसे बात कर सकता है। यह बहुत ही जरूरी है कि आप अपने पालक बच्चे को अच्छी तरह से सुनें।

2.1 आपके और आपके परिवार के बारे में शिकायत

i. जब आपका पालक बच्चा आपके या आपके परिवार के बारे में कोई आरोप लगाता है तो सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि सीडब्ल्यूसी और संबंधित विभाग को इसके बारे में सूचित करेंगे। स्थिति के आधार पर सीईएसी/डीसीपीयू आपको पालक बच्चे द्वारा लगाए गए आरोपों या शिकायतों के बारे में सूचित करेगी।

ii. सीईएसी/डीसीपीयू आरोपों की जांच करेगी। जरूरी संदर्भित जानकारियों को इकठ्ठा करने के लिए पालक बच्चे और आपसे/आपके परिवार से पूछताछ की जाएगी।

iii. आपके पालक बच्चे, आपसे और आपके परिवार से जुड़ी जानकारियां गोपनीय रखी जाएंगी. जानकारियां सिर्फ संबंधित लोगों से जरूरत के आधार पर साझा की जाएगी

iv. सीईएसी/डीसीपीयू आपको जांच के परिणामों के बारे में सूचित करेगी और आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी परामर्श देगी।

2.2 सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि या बच्चे से जुड़े किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत

i. यदि आपका पालक बच्चा सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि पर कोई आरोप लगाता है या शिकायत करता है तो इसकी सूचना तुरंत सीईएसी/डीसीपीयू के प्रमुख को दें।

ii. सीईएसी/डीसीपीयू शिकायतों या आरोपों की जांच करेगी। अधिक जानकारी के लिए आपसे और आपके पालक बच्चे से भी इसके बारे में पूछताछ की जा सकती है। इस दौरान पालक बच्चे के लिए सीईएसी/डीसीपीयू की ओर से एक नया प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा।

iii. यदि आपका पालक बच्चा, अपने से जुड़े किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करता है या किसी प्रकार का आरोप लगाता है तो आपको तुरंत इसकी सूचना सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि को देनी चाहिए जो जरूरत के अनुसार कार्यवाई करेंगे। शिकायत/आरोप के बारे में और जानकारी के लिए आपसे और आपके पालक बच्चे से पूछताछ की जा सकती है.

2.3 पालक अभिभावक की जिम्मेदारियां

i. जांच के दौरान सीईएसी/डीसीपीयू को सभी संबंधित जानकारियां प्रदान करें ताकि एजेंसी सही निर्णय ले सके।

ii. यदि सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि पर कोई आरोप लगता है तो उनसे संपर्क करें।

iii. सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि से संपर्क करें, यदि पालक बच्चे से जुड़े किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है।

2.4 सीईएसी/डीसीपीयू से सहयोग

सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि आपको और आपके परिवार को शिकायत/आरोप से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जरूरी परामर्श देंगे।

3. व्यवहार प्रबंधन और सजा

कोई भी व्यक्ति हर तरह से परिपूर्ण नहीं होता है. हर कोई अक्सर गलतियां करता है लेकिन उन गलतियों से सीखने की जरूरत है। एक पालक अभिभावक के रूप में आप हमेशा अपने पालक बच्चे को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं जो उसके लिए सबसे बढ़िया है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि बच्चा सीखने के क्रम में आपकी बातों को अनसुना कर दे या आपके द्वारा बनाए गए नियमों को मानने से इंकार दे। आप इससे क्रोधित हो सकते हैं लेकिन यह जरूरी है कि आप नियमों और दिशा–निर्देशों का पालन करें। आप यह समझने की कोशिश करें कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया और प्रयास करें कि अगले बार विकल्प चुनने में उसकी मदद करे। बच्चे को भी यह समझना चाहिए कि उसके द्वारा लिए गए फैसले के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। किसी भी परिस्थिति में बच्चे को शारीरिक सजा देने, चीखना/चिल्लाना और डराने से बचें।

विकल्प चुनने में उसकी मदद करे। बच्चे को यह समझना होगा कि वह अपने विकल्पोंके लिए खुद जिम्मेदार है और उसे अपने कार्यों के परिणाम स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। शारीरिक दंड, जिसमें शारीरिक रूप से बच्चे को किसी भी तरह से मारना शामिल है, हर हालत में इससे बचना चाहिए। किसी भी तरीके से बच्चे पर चीखना, चिल्लाना और धमकाने वाली सभी परिस्थितियों में परहेज करना चाहिए।

i. यदि पालक बच्चे ने कोई नियम तोड़ा हो या कुछ ऐसा किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए तो ऐसी स्थिति में बच्चे से बात करें कि उसने ऐसा क्यों किया. अगर झूठ भी बोले तो आप कुछ कहने या करने से पहले बच्चे की पूरी बात सुन लें।

ii. यदि पालक बच्चा गुस्सा कर रहा है या शारीरिक रूप से कोई हानि पहुँचाने का प्रयास कर रहा है तो यह जरूरी है कि आप बच्चे से उलझे नहीं. अपने पालक बच्चे को शांत होने के लिए समय दीजिए. आप भी अपनी भावनाओं को काबू में करने के लिए कुछ समय लें, यह आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी अच्छा होगा।

iii. एक बार जब सभी शांत हो जाए तो अपने पालक बच्चे को यह समझाएं कि उसकी सभी बातें अच्छी तरह से सुनी गयी हैं और आप मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करेंगे. अपने पालक बच्चे को यह भी समझाएं कि उसके कृत्यों से आप पर या आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा।

iv. अपने पालक बच्चे को उसके द्वारा किए गए कार्य के परिणाम के बारे में बताएं और उससे ये सुझाव मांगे कि आपकी तरफ से क्या किया जा सकता है जिससे कि आगे ऐसी घटना ना हो।

v. प्रशिक्षण सत्र के दौरान आपने जो सीखा, उसके माध्यम से अपने पालक बच्चे के व्यवहार को ठीक करने की कोशिश करें. हालांकि, अगर आपको लगता है कि स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है तो आप सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि से हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह कर सकते हैं।

3.1 पालक अभिभावक की जिम्मेदारियां

i. अपने पालक बच्चे के लिए स्वविवेक के आधार पर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करें और प्रशिक्षण सत्र और पालक अभिभावकों के समूह की मीटिंग के दौरान आपने जो सीखा, उसका प्रयोग करें।

ii. इस बात का ध्यान रखें कि अलग–अलग बच्चे अलग–अलग तरह का व्यवहार करते हैं इसलिए अपनी बातों में नर्मी बरतें. अपने पालक बच्चे के साथ आपके अच्छे संबंध से बच्चे को अपना व्यवहार बदलने में मदद मिलेगी।

3.2 सीईएसी/डीसीपीयू से सहयोग

i. सीईएसी/डीसीपीयू आपको जरूरी प्रशिक्षण देगी और पालक अभिभावकों के समूह की समय–समय पर मीटिंग आयोजित कराएगी जिससे बच्चे को संभालने के लिए आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी।

ii. सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि आपको बच्चे के व्यवहार से जुड़े परामर्श देंगे और यदि कोई आवश्यकता पड़ी तो हस्तक्षेप करेंगे।

4. डराना/परेशान करना

परेशान करने वाली हरकतें कहीं भी हो सकती हैं – आपके घर, स्कूल या कार्यस्थल में। ऐसा कोई व्यक्ति जो सोचता है कि उसके पास दूसरों को नियंत्रित करने या नुकसान पहुँचाने की शक्ति है उसे परेशान करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, नाम पुकारना, डराने वाला व्यवहार, मानसिक रूप से परेशान करना या कोई ऐसा व्यवहार जिससे बच्चा असुरक्षित महसूस करें, इसमें शामिल है। इससे बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे परेशान करने वाले लोग अक्सर एक ही व्यक्ति को बार–बार परेशान करते हैं और वो ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाई न हो। आपको ऐसी परिस्तिथियों का सामना करना पड़ सकता है जब आपके पालक बच्चे को कोई परेशान कर रहा हो या आपका पालक बच्चा किसी को परेशान कर रहा हो।

4.1 आपके पालक बच्चे को कोई परेशान कर रहा हो

i. यदि आपको मालूम चलता है कि आपकेपालक बच्चे को कोई परेशान कर रहा है तो आपको इस बारे में पूरी जांच करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, यह कब शुरू हुआ, कितने समय से चल रहा है, आपके पालक बच्चे को कैसे परेशान किया जा रहा है और उसने इन सब से निपटने के लिए क्या किया।

ii. प्रशिक्षण सत्र और पालक अभिभावकों के समूह की मीटिंग के दौरान आपने जो सीखा, उसका प्रयोग कर अपने विवेक के आधार पर आप यह तय करें कि इस स्थिति से निपटा जाए. यदि आपको लगता है कि आपका पालक बच्चा इस स्थिति से निपटने में समर्थ है तो उसे इसके लिए प्रोत्साहित करें।

iii. यह हो सकता है कि परेशान करने वाले व्यक्ति से बचने के लिए आपको विद्यालय के प्राचार्य या उस स्थान के प्रमुख से बात करनी पड़े जहां घटना हो रही है। इसके बाद यह निर्णय लें कि इसका समाधान कैसे निकलेगा और ऐसी घटना दोबारा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है।

iv. यदि आपके पालक बच्चे को आपके परिवार का ही कोई सदस्य परेशान कर रहा हो तो आपको उस सदस्य से निपटना पड़ेगा। आपको अपने पालक बच्चे की रक्षा करनी चाहिए और यह ध्यान रखें कि परेशान करने वाले व्यक्ति से बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे. अगर जरूरत पड़े तो आप अपने स्थान पर सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि से हस्तक्षेप करने का आग्रह कर सकते हैं।

v. यदि आपको लगता है कि पालक बच्चा घटना से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और परामर्श की जरूरत है तो सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि से एक परामर्श सत्र के लिए आग्रह कर सकते हैं।

4.2 आपका पालक बच्चा किसी को कोई परेशान कर रहा हो

i. यदि आपको मालूम चलता है कि आपका पालक बच्चा किसी को परेशान कर रहा है तो आपको पालक बच्चे से बात करनी चाहिए और आप घटनाओं की पूरी जानकारी लें।

ii. अपने पालक बच्चे के इस व्यवहार के कारणों को जानने का प्रयास करें. जैसे क्या वो इसका उपयोग अपने बचाव के लिए कर रहा है या फिर यह उसके मुद्दों से जुड़ा हुआ है।

iii. प्रशिक्षण सत्र और पालक अभिभावकों के समूह की मीटिंग के दौरान आपने जो सीखा, उसे अपने पालक बच्चे को सुझाएं कि कैसे वो इस स्थिति से निपट सकते हैं।

iv. यह हो सकता है कि आपको जांच के लिए पीड़ित और उनके परिवार से मिलना पड़े। साथ ही अपने पालक बच्चे को भी व्यवहार बदलने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर घटना विद्यालय में हुई है तो प्राचार्य से मिलकर विद्यालय में बच्चे के व्यवहार को बदलने के लिए जरूरी कदम उठाएं।

v. यदि आपका पालक बच्चा आपके परिवार के किसी सदस्य को परेशान कर रहा है तो उस स्थिति में आपको निर्णय लेना होगा कि आप, बच्चे के व्यवहार को सुधारने में समर्थ हैं या आपको सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि से मदद की जरूरत है। अपने पालक बच्चे के साथ आपके संबंध और वो आपको किस रूप में देखते हैं के आधार पर आपको अपने निर्णय तय करने होंगे . साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे को ये न लगे कि आप अपने परिवार के सदस्य का पक्ष ले रहे हैं।

vi. यदि आपको लगता है कि पालक बच्चे के व्यवहार को बदलने के लिए परामर्श की जरूरत है तो सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि से एक परामर्श सत्र के लिए आग्रह कर सकते हैं।

4.3 पालक अभिभावकों की जिम्मेदारी

i. परेशान करने वाली घटना की जांच के लिए अपने पालक बच्चे से बातचीत करें, बिना कोई निर्णय लिए या आरोप लगाए।

ii. परेशान करने वाली घटनाओं से बचने के लिए पालक अभिभावकों के समूह की मीटिंग और प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लें।

iii. चाहे आपका पालक बच्चा पीड़ित हो या वो किसी को परेशान कर रहा हो, आप हर परिस्थिति से निपटने और उनके व्यवहार को बदलने में उनकी सहायता करें।

4.4 सीईएसी/डीसीपीयू से सहयोग

i. सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि आपको सभी जरूरी परामर्श देगी और आवश्यकता के अनुसार हस्तक्षेप करेगी।

ii. विद्यालय के प्राचार्य या घटनास्थल के प्रमुख व्यवहार बदलने में मदद करेंगे।

iii. एक परामर्शदाता आपके पालक बच्चे को परामर्श/काउन्सलिंग देगा।

5. बच्चे के खिलाफ हिंसा

पालक अभिभावक के रूप में आपको अपने पालक बच्चे को हिंसा, उपेक्षा और अश्लीलता से बचाना है। बच्चों के साथ हिंसा, पोक्सो एक्ट 2012, भारतीय दंड संहिता और जेजे एक्ट 2015 के तहत एक गंभीर अपराध है। बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाला हर व्यक्ति सजा का भागी है चाहे वो कोई भी हो। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के खिलाफ किसी प्रकार की हिंसा, अश्लीलता या शारीरिक सजा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीईएसी/डीसीपीयू को ऐसे हिंसा के लिए संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजना होता है।

i. किसी भी प्रकार की हिंसा की सूचना सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि को दें जो सीईएसी/डीसीपीयू को सूचित करेंगे।

ii. संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजने के निर्णय से पहले सीईएसी/डीसीपीयू एक आतंरिक जांच करेगी।

iii. हिंसा की प्रेंति के आधार पर सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि बच्चे को चिकित्सीय उपचार के लिए भेज सकते हैं।

iv. अगर हिंसा आपके घर में हुई है और अब वह एक सुरक्षित जगह नहीं है तो सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि पालक बच्चे को किसी अन्य पर ले जाएंगे।

v. अगर उपेक्षा के कारण बच्चे के साथ हिंसा होने के प्रमाण मिले तो सीईएसी/डीसीपीयू पालक देखभाल की व्यवस्था को खत्म करने की सिफारिश करेग। प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी।

vi. सीईएसी/डीसीपीयू संबंधित प्राधिकरण को बच्चे के साथ हिंसा करने वाले व्यक्ति के बारे में सूचित करेगा।

5.1 पालक अभिभावक की जिम्मेदारियां

i. अपने पालक बच्चे को हिंसा से बचाएं

ii. किसी भी प्रकार के हिंसा की सूचना तुरंत सीईएसी/डीसीपीयू को दें।

5.2 सीईएसी/डीसीपीयू से सहयोग

i. हिंसा के प्रमाण पाए जाने पर सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि इसकी सूचना संबंधित प्राधिकरण को देंगे।

ii. अस्पताल को चिकित्सीय उपचार और चिकित्सीय परामर्श देनी चाहिए।

iii. पुलिस को हिंसा के बारे में सूचित करना चाहिए और एक जांच होनी चाहिए. समाज कल्याण विभाग बच्चे का केस रिपोर्ट देगी और बच्चे को जरूरी सुरक्षा प्रदान करेगी।

6. दिव्यांग बच्चे

दिव्यांग बच्चों को उनके विकलांगता के आधार पर विशेष कौशल और व्यवस्था की जरूरत होती है। दिव्यांग बच्चों के पालक के लिए आपको हमेशा अतिरिक्त समय और प्रयास के लिए तैयार रहना चाहिए। पालक देखभाल से पहले आपको दिव्यांगता की प्रेंति के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेना चाहिए और उस हिसाब से आपको अपने घर में अतिरिक्त व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी।

i. अपने घर में दिव्यांग बच्चे की जरूरतों के अनुसार कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी।

ii. दिव्यांग बच्चे के लिए अपने घर में जो व्यवस्थाएं करनी हैं उसके लिए यदि किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो आप सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं।

iii. पालक बच्चे की जरूरतों जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता के लिए सीईएसी/डीसीपीयू के प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं।

iv. एक बार जब पालक बच्चा आपकी देखभाल में आ जाए तो यह सुनिश्चित करें कि दिव्यांग बच्चे के चलने और अन्य रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध है।

6.1 पालक देखभाल करने वाले की जिम्मेदारियां

i. दिव्यांग बच्चे को अच्छी तरह से संभालने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र में शामिल हो।

ii. पप. पालक बच्चे को सुखद और स्वछंद माहौल देने के लिए घर में अतिरिक्त बदलाव करें।

6.2 सीईएसी/डीसीपीयू से सहयोग

सीईएसी/डीसीपीयू हर संभव जब जरूरत पड़ेगी तो मदद करेगी।

चित्र सौजन्यः कुन्सकैप्सकोलन, गुड़गांव।

7. दैनिक कार्य और कर्तव्य

अपने पालक बच्चे के विकास के लिए उन्हें ऐसी जिम्मेदारियां दें जो वो घर में रहकर कर सकें। यह वैसे कर्तव्यों व कार्यों के रूप में हो सकता है जो आपके पालक बच्चे घर में रहकर कर सकते हैं। पालक बच्चे का घरेलू कामकाज में योगदान सुनिश्चित करने से आपके पालक बच्चे को परिवार का हिस्सा जैसा महसूस करने में मदद मिल सकती है।

अपने पालक बच्चे को अनुकूलन दिशानिर्देश देने के दौरान आप उसके साथ चर्चा कर सकते हैं कि वह किन कामों को करने में सक्षम है।

अपनी क्षमता के अनुसार वे कुछ सरल कार्यों से शुरू कर सकते हैं और जब वे आपके घर व परिवार से अच्छे से परिचित हो जाने पर आगे और मदद कर सकते हैं। यदि आपका पालक बच्चा सौंपे गए काम को करने में असफल रहता है, तो पता करें कि उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने या दिए गए कामों को पूरा करने में क्या दिक्कत हो रही है और उसे उन अड़चनों को दूर करने में मदद की कोशिश करें।

7.1 पालक माता–पिता की जिम्मेदारी

उम्र के अनुरूप अपने पालक बच्चे को उचित दायित्व या काम सौंपें।

7.2 सीईएसी/डीसीपीयू से सहयोग

सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि उम्र के योग्य कार्यों के बारे में सलाह देगा जो आपके पालक बच्चे के लिए उपयुक्त होगा और जब बच्चा दिए गए कामों को करने में असफल रहता है, तो मासिक जांच के दौरान उसकी पड़ताल करेगा।

8. बच्चे द्वारा आपराधिक गतिविधि

आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां आपका पालक बच्चा अपराध करते हुए पकड़ा गया है। आपको इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि अपराध में शामिल होने का परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है, खासकर तब जब पालक बच्चा अधिकारियों द्वारा पकड़ा जाता है। भारत में एक बच्चे पर अपराध का आरोप दायर करने की न्यूनतम उम्र 7 वर्ष है। आपको अपने पालक बच्चे को किसी भी आपराधिक या अवैध गतिविधियों में शामिल होने से बचाने में मदद करने के लिए खुद सलाह देने अथवा सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को सूचित करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

i. यदि आप पाते हैं या आपको संदेह है कि आपका पालक बच्चा एक आपराधिक गतिविधि में शामिल है, तो अपने पालक बच्चे से अपराध की प्रकृति और उसने किस हद तक भागीदारी की है इसका पता लगाएं। फिर, सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को सूचित करें, जो तब जांच करेगा और पालक बच्चे के लिए आगे की कार्रवाई का निर्णय करेगा।

ii. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को सलाह देने और पालक बच्चे की गतिविधियों की निगरानी जारी रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है।

iii. यदि आपका पालक बच्चा पुलिस द्वारा एक आपराधिक कृत्य के लिए पकड़ा गया है, तो आपको तुरंत सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को सूचित करना होगा। सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि तब संबंधित अधिकारियों से सीधे बात करेंगे।

8.1 पालक माता–पिता की जिम्मेदारी

यदि आपको पता है या संदेह है कि आपका पालक बच्चा एक आपराधिक गतिविधि में शामिल है अथवा यदि वह एक अपराध के लिए पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को सूचित करें।

8.2 सीईएसी / डीसीपीयू से सहयोग

सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि स्थिति को संभालेंगे और आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेंगे।

9. शिक्षा

'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' के अनुसार, प्रत्येक बच्चे को उचित शिक्षा पाने का अधिकार है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, शिक्षा उन्हें सशक्त बनाती है जिससे वे निरक्षरता की वजह से होने वाले खतरों से काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं और बाद में उन्हें नौकरी के बेहतर अवसर भी प्रदान करती है। यह उन्हें भविष्य में उनके खुद के बच्चों को शिक्षित करने में भी सक्षम बनाता है। जब भी संभव हो आपको अपने पालक बच्चे को किसी भी रूप में उचित एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा को ग्रहण करने हेतु हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए।

i. प्लेसमेंट की शुरुआत के साथ ही सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि पालक बच्चे को निकटतम स्कूल में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करेगा।

ii. यदि आपका पालक बच्चा पढ़ाई में संघर्ष कर रहा है, तो सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि के साथ इस पर चर्चा करें और अतिरिक्त कक्षाओं या ट्यूशन या व्यावसायिक शिक्षा की संभावना पर विचार करें।

9.1 पालक परिवार की जिम्मेदारी

i. एक पालक माता–पिता के रूप में आपकी भूमिका पालक बच्चे की स्कूल उपस्थिति की निगरानी करना और स्कूल से प्राप्त किसी भी रिपोर्ट पर गंभीरता से अमल करना है। यदि पालक बच्चा घर पर ट्यूशन ले रहा है, तो आपको ट्यूटर द्वारा पढ़ने के लिए एक उचित जगह मुहैया कराने की आवश्यकता होगी।

ii. अपने पालक बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि को समुचित जानकारी और अपडेट प्रदान करें।

9.2 सीईएसी/डीसीपीयू द्वारा सहयोग

i. सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि आपके पालक बच्चे के लिए एक स्कूल या ट्यूटर तलाशने में मदद करेगा।

ii. बच्चे को उसकी शिक्षा में सहायता देने हेतु समुदाय–आधारित संगठन, गैर–सरकारी संगठन और अन्य संस्थान जो मुफ्त में शिक्षा प्रदान करते हैं को भी ध्यान में रखा जाएगा।

10. पालक बच्चे के लिए आराम और खेलने का समय

आपके पालक बच्चे जिसने कम उम्र में आघात का अनुभव किया हो सकता है उसके लिए अवकाश और खेल की अवधारणा अजीब बात हो सकती है। हालाँकि, अवकाश और खेलने का समय आपके पालक बच्चे के विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह आपके पालक बच्चे को पिछले आघात से उबरने में मदद करेगा और बच्चे को वर्तमान वातावरण में घुलने–मिलने के अलावा आपके और आपके परिवार के साथ नए रिश्ते बनाने में मदद करेगा। आपके घर में विश्राम और खेलने का समय पालक बच्चे को सहज महसूस करने और घर के अन्य सदस्यों की उपस्थिति का आनंद लेने में मदद करता है।

i. ऐसे समय की योजना बनाएं जब आपके घर के सभी सदस्य केवल कुछ मजेदार और आराम करने के लिए एक साथ मिल सकें। यह न केवल आपके पालक बच्चे के लिए उपयोगी होगा, बल्कि यह आपके स्वयं के परिवार के सदस्यों को भी जुड़ने में मदद करता है और एक–दूसरे के साथ आपके रिश्ते को बेहतर बनाता है।

ii. अपने पालक बच्चे की उम्र के आधार पर, आप अपने पालक बच्चे के लिए समुदाय में अन्य लोगों के साथ खेल खेलने की व्यवस्था कर सकते हैं, या परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, या सिर्फ घर पर एक साथ समय बिताने के लिए एक अवसर का जश्न मनाने के लिए एक विशेष भोज का आयोजन कर सकते हैं।

iii. आप अपने पालक बच्चे से उनके पसंद की चीजों के बारे में जान सकते हैं ताकि उसके अनुसार आप उनके लिए अवकाश या मजेदार गतिविधियाँ निर्धारित कर सकें।

10.1 पालक परिवार की जिम्मेदारी

i. पूरे परिवार को एक साथ कुछ करने के लिए जानबूझकर समय निर्धारित करें।

ii. अपने पालक बच्चे और अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पता करें कि वे साथ में क्या मजेदार चीजें करना चाहते हैं।

10.2 सीईएसी/डीसीपीयू से सहायता

i. सीईएसी / डीसीपीयू प्रतिनिधि उन गतिविधियों पर कुछ सुझाव दे सकता है जो आप एक साथ कर सकते हैं।

ii. कार्यक्रम के तहत या फोस्टर केयर ग्रुप मीटिंग के दौरान सीईएसी / डीसीपीयू पालक परिवारों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।

11. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

जीवन में अत्यधिक तनाव या दर्दनाक अनुभवों से गुजरने वाले बच्चे उन तरीकों से सामना करने की कोशिश कर सकते हैं जो ज़्यादा असरदार नहीं हो सकते हैं। वे असामान्य तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं या अनुचित व्यवहार कर सकते हैं। यदि आपके पालक बच्चे के दैनिक कामकाज में उसके असामान्य भावनाओं या व्यवहार प्रदर्शन के कारण विघ्न पड़ता है, तो वह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। मानसिक समस्याओं से पीड़ित एक पालक बच्चे की देखभाल करना भ्रमित करनेवाला, निराशा से भरनेवाला और भावनात्मक रूप से तोड़नेवाला हो सकता है। ऐसे में आपको भावनात्मक और/या व्यवहार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे अपने पालक बच्चे के आकलन और उपचार हेतु मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों जैसे मनोचिकित्सकों, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं की मदद लेनी होगी। आपके पालक बच्चे को इस तरह के मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता कब हो सकती है, इसके लिए आपको लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है।

यदि आप अपने पालक बच्चे में इनमें से किसी भी संकेत को नोटिस करते हैं, तो इसकी संभावना है कि उसे मानसिक स्वास्थ्य जांच और हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है:

- व्यवहार जो नियंत्रण से बाहर और खतरनाक हैं
- अचानक बहुत डरने लगना और दैनिक गतिविधियों को संभालने में सक्षम नहीं होना
- अचानक बहुत चिंतित, डरा हुआ या शांत महसूस करे और दैनिक गतिविधियों को संभालने में सक्षम नहीं होना
- बहुत ज्यादा खाना या पर्याप्त न खाना
- कुछ दिनों से अधिक समय तक बहुत उदास या खोया–खोया रहना
- उसका खुद को चोट पहुँचाने और/या अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचना
- स्पष्ट योजनाएँ बना रखना और/या वास्तव में स्वयं को चोट पहुँचाना या अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करना
- किसी भी प्रकार का व्यवहार जिसमें खरोंचना, काटना, या मारना शामिल हैं जिससे उसे चोट पहुँचाती हो
- वजन कम होना ऐसी चीजों को देखना या सुनना जो वास्तविक नहीं हैं या नहीं हैं
- भावनाओं या मनोदशा में अचानक परिवर्तन
- ऊर्जा में ह्रास
- ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना या चीजों को याद नहीं रख सकना, स्कूल में खराब प्रदर्शन
- चीजों (उदाहरण के लिए, स्कूल जाना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, या भोजन के लिए परिवार के साथ शामिल होना) को करने में कम रुचि लेना
- चीजों को याद करने या बुरे सपने आने के बाद रात में जागना
- शारीरिक समस्याओं जैसे शरीर में दर्द, थकान और सिरदर्द की शिकायत, अक्सर जब कोई स्पष्ट कारण मौजूद न हों
- ड्रग्स या शराब लेना

i. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आपके पालक बच्चे के व्यवहार से खुद बच्चे और/या आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप कितनी बार ऐसे व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, किन परिस्थितियों में व्यवहार हुआ, और अन्य विवरण जो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को परामर्श पत्र (रेफरल) बनाने में सहायक हो सकते हैं।

ii. यदि आपका पालक बच्चा आत्महत्या और/या दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसे उच्च जोखिम वाले गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है, तो यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में और देखभाल प्रदान करने की आपकी क्षमता के भीतर है या नहीं इस आधार पर सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को प्लेसमेंट का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी।

iii. यदि आपको लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से पीड़ित पालक बच्चे की देखभाल करना आपकी क्षमता से परे है, तो आप प्लेसमेंट को समाप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन, उस निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि के साथ चर्चा करें।

11.1 पालक परिवार की जिम्मेदारी

i. सीईएसी/डीसीपीयू द्वारा आयोजित पालक देखभाल प्रशिक्षण सत्र में भाग लें।

ii. मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षणों को जानने के लिए बच्चे के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करें और तदनुसार सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को सूचित करें।

iii. अपने पालक बच्चे की उपचार प्रक्रिया में भाग लें और आवश्यकतानुसार किसी भी अनुवर्ती देखभाल (जैसे कि बच्चे की दवा की निगरानी) में सहायता करें।

11.2 सीईएसी/डीसीपीयू से सहायता

i. सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की व्यवस्था करेगा और पालक बच्चे के साथ रहेगा।

ii. रोग या समस्या का आकलन करने और आवश्यक हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं या किन्हीं अन्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की व्यवस्था करेगा।

12. फोस्टर होम से लापता होना

यदि आप सोचते हैं कि यह उसके लिए सुरक्षित है, तो आप अपने पालक बच्चे को अपने दम पर बाहर जाने की अनुमति दे सकते हैं। यह उसके उम्र, लिंग, कानूनी दस्तावेजों के कब्जे, उस स्थान पर जहां वह जा रहा/रही है, और उसकी परिपक्वता के स्तर और जिम्मेदारी की भावना पर निर्भर करेगा। फिर भी, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बच्चा बहुत देर तक बाहर न रहे और खुद को खतरे में न डाले। पालक माता–पिता के रूप में, आपको अपने पालक बच्चे पर प्रतिबंध लगाने और उसके ठिकाने के बारे में जागरूक होने का अधिकार है। सीईएसी/डीसीपीयू अपनी देखरेख के तहत आनेवाले सभी पालक बच्चों के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगा सकता है। आपके पालक बच्चे को आपको निश्चित रूप से सूचित करना चाहिए कि वह कहां जा रहा/रही है, वह किसके साथ रहेगा/रहेगी और किस समय वह वापस आने वाला/वाली है। यदि पालक बच्चा नियत समय पर घर नहीं लौटता है या लापता हो गया है, तो घबराएं नहीं, बल्कि जान लें कि आपको क्या करने की आवश्यकता है।

i. यदि आपका पालक बच्चा नियत समय तक नहीं लौटता है, तो पहले उसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास करें। यदि आपके पालक बच्चे के पास कोई फोन नहीं है, तो आपको यह देखने के लिए आधी रात तक इंतजार करना पड़ सकता है कि क्या वह घर लौटता/लौटती है।

ii. जब वह घर लौटता/लौटती है, तो अपने पालक बच्चे की बात सुनें और तय करें कि क्या यह एक उचित स्पष्टीकरण है।

iii. यदि ऐसा बार–बार हो रहा है की बच्चा समय से घर नहीं पहुँच रहा है तो आपको सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को इस बारे में सूचित करना चाहिए।

iv. यदि आपका पालक बच्चा आधी रात तक घर नहीं लौटता है और आप उससे संपर्क करने में असमर्थ हैं, तो आपको तुरंत सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को सूचित करना चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आवश्यक कदम उठाएंगे।

12.1 फोस्टर परिवार की जिम्मेदारी

i. अपने पालक बच्चे के लिए वापसी का उचित समय निर्धारित करें यदि सीईएसी/डीसीपीयू ने पहले से ऐसा नहीं किया है। समय निर्धारित करने के कारणों को आपके पालक बच्चे को समझाया जाना चाहिए और साथ ही समय का पालन नहीं करने पर संभावित परिणामों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

ii. आपको अपने पालक बच्चे को भी सहज महसूस कराना चाहिए कि अगर उसे देर हो रही है तो वो आपको सूचित कर सके।

iii. अपने पालक बच्चे के ठिकाने की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि वह घर लौटने के अपने समय का सम्मान करता है।

iv. यदि आपका पालक बच्चा लापता हो जाता है या अक्सर देर से आता है, तो सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि को सूचित करें।

12.2 सीईएसी/डीसीपीयू से सहयोग

वैसी स्थिति जहां पालक बच्चा लापता हो जाता है या जब आपके या सीईएसी/डीसीपीयू द्वारा लगाए गए प्रतिबंध बार–बार टूटते हैं, से सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि आवश्यक कदम उठाएंगे।

13 जेब खर्च (पॉकेट मनी)

यद्यपि आप पालक बच्चे की सभी जरूरतों का ध्यान रख रहे होंगे, फिर भी पालक बच्चा जेब खर्च (पॉकेट मनी) मांग सकता है। आप पालक बच्चे को उचित पॉकेट मनी दे सकते हैं। हालांकि आपके पालक बच्चे को अपने स्वयं के रुपये–पैसे को रखने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, उसके पास आपके घर में पैसे जमा करने के लिए भी एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए।

13.1 फोस्टर परिवार की जिम्मेदारी

i. बच्चे को उचित पॉकेट मनी दें और यह भी निर्देश दें कि पैसे कब और कैसे खर्च करें।

ii. अपने पालक बच्चे को पैसे स्टोर करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करें।

13.2 सीईएसी/डीसीपीयू से सहायता

यदि आवश्यक हो, तो आप सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि से अनुरोध कर सकते हैं कि वह आपके पालक बच्चे को कीमती सामान जमा करने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करें।

14. मीडिया और सोशल मीडिया

मीडिया सकारात्मक और प्रेरक कहानियां के द्वारा जनता को आगे आने और जरूरतमंद लोगों का समर्थन करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती हैं। लेकिन अगर अन्यथा उपयोग किया जाता है, तो यह बच्चे के जीवन के भविष्य के लिए घातक हो सकता है।

पालक माता–पिता के रूप में यह सुनिश्चित करना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित किसी भी प्रकार के डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बच्चे की वास्तविक पहचान एवं उससे जुडी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बाल देखरेख संस्थान में उसके प्रवेश की परिस्थितियाँ, तस्वीरें, विद्यालयध्संस्थानध्आवासीय पता एवं उसके जैवकीय परिवार (अगर हों तो) के बारे में किसी प्रकार की सूचनाओं का खुलासा न हो।

प्रक्रिया

i. यदि बच्चे के सर्वोत्तम हित में मीडिया के साथ साक्षात्कार आवश्यक प्रतीत हो रहा हो, तो मीडिया के प्रतिनिधि सम्बंधित जिला बाल संरक्षण समिति और बाल कल्याण समिति से आवश्यक संपर्क स्थापित करेंगे।

ii. जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति एवं सी.ई.ए.सी के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से तय करेंगे कि मीडिया के द्वारा किया जाने वाला साक्षात्कार या किसी भी प्रकार की बातचीत बच्चे के सर्वोत्तम हित में है या नहीं।

iii. अगर उपरोक्त प्रतिनिधियों के द्वारा इस साक्षात्कार को आयोजित करने की सहमति नहीं बनती है तो, अनुमति या इनकार करने के निर्णय को जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति एवं सी.ई.ए.सी के प्रतिनिधि द्वारा मीडिया एजेंसी को ससमय सूचित किया जाएगा।

iv. यह अनुशंसा की जाती है कि बाल कल्याण समिति/जिला बाल संरक्षण समिति/सी.ई.ए.सी बच्चों से जुड़े मीडिया रिपोर्टिंग और साक्षात्कार से सम्बंधित सामान्य नैतिक सिद्धांतों का पालन करें (अधिक जानकारी के लिए कृपया, प्रेसपरिषदय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या यूनिसेफ के दिशानिर्देश को देखें)

v. पालक देखभाल में रह रहे बच्चे की सहमति उसकी उम्र और परिपक्वता के आधार पर प्राप्त करना आवश्यक होगा।

vi. यदि पालक बच्चा साक्षात्कार देने या किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है, तो इसका सम्मान करना होगा।

vii. बच्चे के साथ मीडिया के बातचीत के दौरान जिला बाल संरक्षण समिति के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

फोस्टरमाता–पिता की जिम्मेदारी

- पालक माता–पिता, बाल कल्याण समिति/जिला बाल संरक्षण इकाई से पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी मीडिया कर्मी को बच्चे का साक्षात्कार लेने की अनुमति नहीं देंगे।
- पालक माता–पिता को यह सुनिश्चित करेंगे कि साक्षात्कार से बच्चे की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े और उसे किसी प्रकार की असहजता महसूस न हो। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया में बच्चे के निजता के अधिकार का सम्मान हो।
- यदि कोई पत्रकार आपके या बच्चे के साक्षात्कार के लिए आपसे संपर्क स्थापित करें, तो आप तुरंत बाल कल्याण समिति/जिला बाल संरक्षण इकाई/सी.ई.ए.सी के प्रतिनिधि को सूचित करेंगे।

चित्र सौजन्यः कुन्सकैप्सकोलन, गुड़गांव।

- कई पालक माता–पिता के व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकॉउंटस हो सकते हैं। उन्हें यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करना होगा कि वो सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी गोपनीय, संवेदनशील या व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा न करें, जिससे बच्चे की सुरक्षा को खतरा पैदा हो। क्योंकि यह देखा गया है कि सोशल मीडिया में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई खतरे पैदा करता है।
- 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया के उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।
- 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चेरू पालक माता–पिता, जिला बाल संरक्षण इकाई/सी.ई.ए.सी आदि के सहयोग से सोशल मीडिया एवं इंटरनेट के लाभ, जोखिम, ऑनलाइन सुरक्षा से सम्बंधित जानकारी सहित इनके सही और सुरक्षित उपयोग के बारे में बच्चे का मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही बच्चे की गोपनीयता का सम्मान करेंगे।

डी.सी.पी.यू/सी.ई.ए.सी प्रतिनिधि से सहायता

i. जिला बाल संरक्षण इकाई/सी.ई.ए.सी के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया में बच्चे की पहचान उजागर न हो और तस्वीर में बच्चे के चेहरे को पूरी तरह से धुंधला या ढक दिया जाए।

ii. जिला बाल संरक्षण इकाई/सी.ई.ए.सी के प्रतिनिधि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया प्रकाशन के कारण चिंता, संकट, आघात, सामाजिक कलंक बढ़ने की सम्भावना न हो ताकि बच्चे के जीवन और सुरक्षा के जोखिम पैदा नहीं हों।

iii. जिला बाल संरक्षण इकाई/सी.ई.ए.सी के प्रतिनिधि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि समाचार/कार्यक्रम/वृत्तचित्र आदि की रिपोर्टिंग/प्रसारण/प्रकाशन बच्चे को पीड़ा न पहुंचाए।

iv. किसी के द्वारा पालक माता–पिता को साक्षात्कार हेतु सहमति देने के लिए किसी भी तरह से, चाहे वह वित्तीय या अन्य प्रकार का प्रलोभन हो, प्रयास या जबरदस्ती नहीं किया जाएगा।

v. जिला बाल संरक्षण इकाई/सी.ई.ए.सी के प्रतिनिधि भी यह सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया मुद्दों या स्टोरीज को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत नहीं करे, क्योंकि यह बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

vi. जिला बाल संरक्षण इकाई/सी.ई.ए.सी के प्रतिनिधि मीडिया के विषय में, माता–पिता और पालक बच्चे दोनों को आवश्यक दिशा–निर्देश और संसाधन प्रदान करेंगे।

vii. बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सी.ई.ए.सी के कर्मचारियों के लिए मीडिया हैंडलिंग विषय पर प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा तथा प्रशिक्षण के दौरान मीडिया हैंडलिंग पर संसाधन सामग्री प्रदान की जायेगी ।

संदर्भ के लिए कुछ संसाधन

- https://www-presscouncil-nic-in/WriteReadData/Pdf/Guidelinesformediareportingonchildren-pdf
- https://www-unicef-org/media/reporting&guidelines
- https://mib-gov-in/sites/default/files/pc7-pdf

15. लाइफ बुक और मेमोरी बॉक्स

लाइफ बुक पालक बच्चे के जीवन की कहानी होती है। लाइफ बुक्स एक उपचारात्मक उपकरण की तरह होती हैं जो पालक बच्चे को उनके जीवन को समझने में मदद करती हैं। लाइफ बुक्स पालक बच्चे को खुद को पहचानने में मदद करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। पालक देखभाल में प्लेसमेंट अक्सर पालक बच्चे के लिए भ्रमित करने वाला होता है और एक लाइफ बुक बनाने से बच्चों को यह समझने में मदद मिलती है कि अतीत में क्या हुआ है और बच्चे के लिए कौन महत्वपूर्ण है।

लाइफ बुक आमतौर पर एक पुस्तक के रूप में सबसे अधिक सुलभ है, या तो हस्तनिर्मित या डिजिटल रूप से निर्मित जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के उसके जीवन की कहानी समाहित होती है। यह पुस्तक लिखित शब्दों, चित्रों, तस्वीरों और दस्तावेजों का मिश्रण होती है और इसमें बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ–साथ जोड़ने के लिए जगह होती है।

लाइफ बुक बच्चों को उनके अतीत को समझने में मदद कर सकती है और उन्हें पहचान की सकारात्मक भावना विकसित करने में सक्षम बनाती है। साथ ही, उनके भावनात्मक विकास में भी मदद करती है। बच्चे हमेशा इस जानकारी का पता लगाना नहीं चाहते हैं जबतक वे बड़े न हो जाएं, लेकिन एक जीवन कथा पुस्तक पूरी तरह से सत्य आधारित और युवा व्यक्ति या वयस्क के लिए सुलभ होनी चाहिए जब उन्हें इसकी आवश्यकता हो।

लाइफबुक के लिए कुछ सामान्य चीजें:

- बच्चा कहाँ पैदा हुआ था
- जन्म प्रमाण पत्र की प्रति
- दोस्तों की तस्वीरें
- फोस्टर केयर में प्लेसमेंट से पहले और उसके दौरान की तस्वीरें
- स्कूल से प्राप्त पुरस्कार और प्रमाण पत्र
- स्कूल से मिले विशेष असाइनमेंट्स जैसे कलोंति या एक कविता

कुछ प्रश्न जो पालक बच्चे को उनकी जीवन पुस्तिका विकसित करने में मदद करते हैं, वे निम्नलिखित हो सकते हैं:

- वो स्थान जहां बच्चा रहता था और उनके साथ कौन रहते थे।
- किन स्कूलों में पढाई की?

चित्र सौजन्यः कुन्सकैप्सकोलन, गुड़गांव।

चित्र सौजन्यः कुन्सकैप्सकोलन, गुड़गांव।

- पसंदीदा खिलौने और गतिविधियाँ?
- दोस्त और पालतू जानवर?
- पसंदीदा पारिवारिक स्मृति और पारिवारिक परंपराएँ?
- पसंद और नापसंद

पालक बच्चे को उसके जीवन की पुस्तक विकसित करने में मदद करने में पालनकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक देखभाल करने वाले वयस्क को बच्चे को उसके लाइफ बुक में हमेशा मदद करनी चाहिए। लाइफ बुक का विकास बच्चे के लिए मरहम जैसा है क्योंकि पुस्तक तैयार होने के दौरान बच्चा गहरी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। प्लेसमेंट को समझने में बच्चे की मदद करने के लिए पूरी टीम की जरूरत पड़ती है और बच्चे को लाभ पहुंचाने के लिए हर किसी को बच्चे की कहानी लिखने में मिलकर काम करने की जरूरत होती है।

मेमोरी बॉक्स

मेमोरी बुक को विकसित करने के अलावा, मेमोरी बॉक्स का उपयोग उन वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है जिनके भावनात्मक मूल्य हैं। मेमोरी कार्ड में जो आइटम जोड़े जा सकते हैं वे हैं:

- बच्चे, जन्मदाता परिवार, पालक परिवार, महत्वपूर्ण घटनाओं, समारोहों, दैनिक जीवन की तस्वीरं
- फोटो और अन्य दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए एक मेमोरी स्टिक
- एक फोटो एल्बम
- विशेष रूप से परिवार और दोस्तों से मिले पत्र और कार्ड
- स्कूल रिपोर्ट की प्रतियां, उपलब्धियों के प्रमाण पत्र
- छुट्टियों या आउटिंग से संबंधित पोस्टकार्ड, टिकट और स्मृति चिन्ह
- छोटी भावनात्मक वस्तुएं – बच्चे द्वारा बनाए गए खिलौने, पेंटिंग या आइटम
- कपड़े का एक छोटा टुकड़ा या उदाहरण के लिए, बच्चे के कंबल से लिया हुआ
- जूते की पहली जोड़ी
- प्रियजनों से मिले उपहार जैसे आभूषण या कपड़े
- निमंत्रण, समाचार पत्र की कतरन, पढ़ी हुई पहली पुस्तक, स्कूल में लिखा हुआ कुछ या कहानियाँ
- देखभालकर्ता हेतु स्वागत पृष्ठ

[25] User Guide on Foster Care, p.104, National commission for Protection of Child rights

अनुलग्नक

शब्दावली

दुर्व्यवहार

यह दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है। दुर्व्यवहार के रूपों में दूसरों के प्रति की गई शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मौखिक और/या मनोवैज्ञानिक हिंसा शामिल हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बाल शोषण और दुर्व्यवहार को "वैसे सभी प्रकार के शारीरिक और/या भावनात्मक रूप से गलत व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, उपेक्षा या लापरवाही पूर्ण व्यवहार समेत व्यवसायिक अथवा अन्य प्रकार के शोषण जो जिम्मेदारी, विश्वास या शक्ति के संदर्भ में बच्चे के स्वास्थ्य, जीवन, विकास या गरिमा को वास्तविक या संभावित नुकसान पहुंचाए" के तौर पर परिभाषित करता है।

गोद लेना

ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से गोद लिया बच्चा स्थायी रूप से अपने जैविक माता–पिता से अलग हो जाता है और जैविक बच्चों से जुड़े सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ अपने दत्तक माता–पिता के वैध बच्चे बन जाते हैं।

वयस्क होना

वह प्रक्रिया जिसके तहत कोई व्यक्ति उस उम्र को हासिल करे जिसके बाद वह आमतौर पर देखभाल से संबंधित विशिष्ट सेवाएं प्राप्त के योग्य नहीं रह जाता है। मलेशिया में पालक देखभाल व्यवस्था के अंतर्गत 18 साल की उम्र हासिल करने के बाद एक बच्चा पालक देखभाल कार्यक्रम से स्वतः बाहर हो जाता है और उसके बाद स्वतंत्र जीवन जीना शुरू कर देता है।

बच्चों का बेहतर हित

बच्चों के अधिकारों का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के अनुच्छेद 3 से लिया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक सभी वयस्कों को वह करना चाहिए जो बच्चों के लिए सबसे बेहतर है। यह सिद्धांत निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करता है।

जैविक माता–पिता

बच्चे के जन्मदाता माता–पिता जो बच्चे के साथ आनुवंशिक समानताएं साझा करते हैं।

देखभाल योजना

एक लिखित दस्तावेज जिसमें पालक बच्चे द्वारा हासिल करने वाले लक्ष्यों की एक सूची के साथ–साथ सभी पक्षों द्वारा किए जाने उन सभी आवश्यक क्रियाकलापों का ब्यौरा होता है जो पालक बच्चों को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे।

देखभाल योजना निर्माण

एक बच्चे की सुरक्षा, स्थायित्व और भलाई से जुड़ी जरुरतों को पूरा करने संबंधी रणनीति निर्माण के लिए निर्देशित प्रक्रिया।

बाल कल्याण समिति

सरकार द्वारा चयनित 5 सदस्यों वाली एक टीम जिसे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास संबंधी मामलों का निपटान करने के साथ–साथ उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

केस प्रबंधन

एक व्यक्ति की समग्र जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी जरूरी सेवाओं की पहचान और समन्वय की एक प्रक्रिया। केस प्रबंधन प्रक्रियाओं में किसी व्यक्ति के जोखिम, जरूरतों और संबंधित चिंताओं की स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, नियोजन, देखभाल समन्वय, सुविधा, निगरानी और मूल्यांकन शामिल हैं। बच्चों से संबंधित केस प्रबंधन को विशेष रूप से एक बच्चे की सुरक्षा, स्थायित्व और कल्याण को ध्यान में रखना चाहिए।

समुदाय प्रतिनिधि

एक समुदाय विशेष का एक नेता जिसे उस समुदाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से के प्रतिनिधि के रूप में पहचाना जाता है।

समुदाय–आधारित संगठन	एक गैर–सरकारी संगठन जो सामुदायिक स्तर पर काम करता है और एक विशेष समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है।
शारीरिक दण्ड	इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे को शारीरिक दण्ड देना, जिसमें किसी अपराध के प्रतिकार अथवा बच्चों को सुधारने या अनुशासित करने के प्रयोजन से जानबूझकर दर्द देना शामिल है। शारीरिक दंड के उदाहरणों में तमाचा मारना, थप्पड़ मारना या कोड़े मारना शामिल हैं।
फोस्टर केयर	वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से एक बच्चे को अपने जन्मदाता परिवार से अलग बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित, अनुमोदित और निगरानी वाले एक दूसरे परिवार के घरेलू वातावरण में रखना।
फोस्टर केयर एजेंसी	ऐसे संगठन जो अस्थायी देखभाल के तलबगार बच्चों के लिए पालक माता–पिताओं की भर्ती और चयन के अलावा उन्हें प्रशिक्षित करते हैं।
पालक देखभाल चयन समिति	एक टीम जिसे प्रस्तुत की गई जानकारी का आकलन करने और उस पर निर्णय लेने का काम सौंपा जाता है कि भावी पालक माता–पिता पालक माता–पिता के रूप में चुने जाने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। इस टीम में सीईएसी, डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य सदस्य होंगे।
पालक माता–पिता/परिवार	एक व्यक्ति जो उस बच्चे का माता–पिता या रिश्तेदार नहीं है, को संबंधित अधिकारियों द्वारा घर या परिवार के वातावरण में बच्चे की देखभाल और नियंत्रण का जिम्मा दिया गया है।
गृह अध्ययन	पालक माता–पिता, पालक घर और परिवार के वातावरण की समीक्षा। सीईएसी और डीसीपीयू द्वारा गृह अध्ययन पूरा किया जाता है और पालक माता–पिता की चयन प्रक्रिया दौरान उपयोग किया जाएगा।
घर का दौरा	सीईएसी और डीसीपीयू प्रतिनिधि द्वारा किसी व्यक्ति के घर का दौरा करना।
स्वतंत्र जीवनयापन	एक बच्चे के लिए पालक देखभाल कार्यक्रम छोड़ने या उससे पहले आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की तैयारी। एक स्वतंत्र जीवनयापन कार्यक्रम एक पालक बच्चे को वयस्क जीवन के लिए जरूरी कौशल विकसित करने में मदद देता है।
हस्तक्षेप	किसी विशेष आवश्यकता या किसी विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई।
किशोर न्याय (देखभाल और बच्चों का संरक्षण) अधिनियम, 2015	भारत में निवास करने वाले बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास का प्रावधान करनेवाला कानून।
दुराचार	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार और उपेक्षा। बाल दुर्व्यवहार का संबंध बच्चे के प्रति होनेवाले सभी प्रकार के दुरुपयोग और उपेक्षा से है।
उपेक्षा	दुर्व्यवहार का एक रूप जिसमें किसी व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है। बाल उपेक्षा के तहत एक बच्चे की सुरक्षा आवश्यकताओं, पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, पोशाक व अन्य दूसरे भौतिक आवश्यकताओं, भावनात्मक और सामाजिक विकास जरूरतों, शैक्षिक और आवासीय जरूरतों को पूरा न करने संबंधी विफलता शामिल हैं।
गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)	एक गैर–लाभकारी संगठन जो सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और जिसका उद्देश्य आम तौर पर सामाजिक या राजनीतिक चिंताओं को दूर करना है।
जोखिम आकलन	संभावित और वास्तविक जोखिमों के आकलन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया ताकि इन जोखिमों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
सुरक्षा लक्ष्य	ऐसे लक्ष्य जो घर के बाहर रह रहे बच्चों की दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुराचार से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

स्क्रीनिंग प्रक्रिया आवेदक की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन। पालक माता–पिता की मुख्य रूप से सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, जबकि एक बच्चे को केवल कार्यक्रम जरूरतों के लिए जांचा जाता है। स्क्रीनिंग सही व्यक्तियों को कार्यक्रम में अनुशंसित करने की अनुमति देता है।

विगलित बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो माता–पिताध्अभिभावक या प्राथमिक देखभालकर्ता दोनों से अलग होता है और या तो अपने आप पर निर्भर है या सीसीआई में है।

स्थिरता इसका मतलब एक ऐसी स्थिति से है जिसमें चीजें वैसी होती हैं जैसी होनी चाहिए और कोई हानिकारक बदलाव नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बच्चे के जीवन में व्यवधानों की संख्या को कम करने के साथ टीम वर्क के माध्यम से स्थिरता प्रदान की जाती है।

सहायता समूह पालक माता–पिता या संभावित पालक माता–पिता के वैसे समूह जो मिलजुल कर जानकारी और संसाधन साझा करने के अलावा पालक बच्चे के देखभाल के लिए समर्थन और सुझाव प्रदान करते हैं। सीईएसी द्वारा सहयोग हेतु समूह बैठकों की सुविधा दी जाएगी।

ट्रामा अत्यधिक परेशान करने वाले अनुभवों व घटनाओं के प्रति एक व्यक्ति की भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया। इस तरह की घटनाओं में आमतौर पर विशेष नुकसान, भावनात्मक या शारीरिक नुकसान या उनसे जुड़े खतरे शामिल होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (UNCRC½– संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता एक मानवाधिकार संधि है जो बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, कानूनी, स्वास्थ्य, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को निर्धारित करता है। जिन देशों ने इस कन्वेंशन को अंगीकार किया है, उनसे इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन और देश में बाल अधिकारों की स्थिति को बेहतर करने हेतु गति देने की अपेक्षा की जाती है। मलेशिया ने 1995 में इस कन्वेंशन को अंगीकार किया।

कल्याण इसका मतलब है स्वस्थ और खुश महसूस करने की अवस्था। बाल कल्याण में लड़का/लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, भौतिक जरूरतें, जोखिम और सुरक्षा, सामाजिक समर्थन, शिक्षा, आश्रय और बच्चे की भागीदारी आदि शामिल होंगे।

अनुलग्नक 1: घटना की रिर्पोट के लिये प्रपत्र

Centre of Excellence
In Alternative Care, India
Safer and stronger families

रिकॉर्डिंग फॉर्म – फोस्टर केयर में घटना/दुर्घटना

फोस्टर देखभालकर्ता का नाम:.....

पता:.....

बच्चे का नाम:.....

बच्चे का नजदीकी सामाजिक कार्यकर्ता:.....

सीईएसी / डीसीपीयू कार्यालयें.....

हादसा / दुर्घटना की तारीख :.....

घटना / दुर्घटना कहाँ हुई? .....

.....

क्या घटना / दुर्घटना में शारीरिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी?

हाँ [ ] नही [ ]

कृपया बताएं कि क्या हुआ: (यदि आवश्यक हो, तो जारी रखने के लिए अलग शीट का उपयोग करें) .....

.....

.....

.....

.....

.....

क्या इस घटना / दुर्घटना में आपको या बच्चे को कोई चोट लगी है? हाँ [ ] नही [ ],

यदि हाँ, तो कृपया विस्तार से बताएं कि क्या चिकित्सा सलाह की आवश्यकता थी:.....

.....

.....

क्या कोई घटना/दुर्घटना का गवाह था? हाँ [] नही []

यदि हाँ, तो कृपया विवरण/नाम/पता आदि दें:.....

.....

.....

क्या कार्रवाई की गई और किसे सूचित किया गया?.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर/पालक देखभालकर्ता:.....

तारीख:

हस्ताक्षर/बच्चा–युवा वयस्क .....

तारीख:

.....

इस फॉर्म के साथ क्या करना है:

पालक देखभालकता: कृपया इस फॉर्म को अपने सीईएसी या डीसीपीयू प्रतिनिधि या सीडब्ल्यूसी को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएँ।

सीईएसी/डीसीपीयू प्रतिनिधि: कृपया अपने पर्यवेक्षक के साथ इस फॉर्म पर चर्चा करें और देखभालकर्ता फाइल के साथ–साथ बाल फाइल पर अपलोड करने के लिए इसे अपने पास रखें।

पर्यवेक्षक: सुनिश्चित करें कि इस फॉर्म से घटना/दुर्घटना का विवरण विधिवत फाइल में या कंप्यूटर पर दुर्घटना रिकॉर्डिंग स्प्रेडशीट में दर्ज किया गया है।

संशोधन अगस्त 2016

घटना का वर्णन निरंतरता पत्रक:

अनुलग्नक 2: फॉर्म 30

[नियम 23 (9)]

संभावित पालक माता–पिता का गृह अध्ययन रिपोर्ट पंजीकरण तिथि

संभावित पालक माता–पिता (पीएफपी) का आधार कार्ड नंबर .....

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम:.....

घर आने की तारीख:.....

प्रारूप के भाग–I को भावी पालक माता–पिता द्वारा भरा जाएगा और टेम्पलेट के भाग– II को सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भावी दत्तक/पालक माता–पिता के उपयुक्तता के बारे में अपने अवलोकन के साथ एक मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने के लिए भरा जाएगा।

भाग–I: स्व–मूल्यांकन

A- भावी पालक माता–पिता और उनके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी

पालक माता–पिता का विवरण	
पूरा नाम	
जन्मतिथि और आयु	
जन्म स्थान	
ई–मेल आईडी के साथ पूरा पता (वर्तमान और स्थायी पता)	
पहचान प्रमाण	
धर्म	
भाषा(एं)	
शादी की तारीख	
वर्तमान शैक्षिक योग्यता	
रोजगार/व्यवसाय	
वर्तमान नियोक्ता/व्यावसाय का नाम और पता	
वार्षिक आय	
स्वास्थ्य की स्थिति	

पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी:

1. भावी पालक माता–पिता की सामाजिक स्थिति और पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण देने के साथ निम्नलिखित जानकारियाँ दें।

आवेदकों के माता–पिता के बारे में विवरण		
	पिता	**मां**
पूरा नाम		
आयु		
राष्ट्रीयता/नागरिकता		
व्यवसाय		
पिछला पेशा		
वर्तमान में किसके साथ रह रहे हैं		

2. कृपया अपने संबंधित बच्चों (गोद लिए गए और जैविक) के नाम, उनके लिंग, शैक्षिक स्थिति (बालवाड़ी, प्राथमिक, आदि) और जन्मतिथियों के साथ निम्नलिखित तालिका को पूरा करें।

बच्चे का नाम	लिंग	जन्मतिथि	शैक्षिक स्थिति

3. यदि अन्य सदस्य रहते हैं, तो कृपया उनके संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें।

नाम	रिश्ते की प्रकृति	आयु	लिंग	व्यवसाय

4. कृपया बताएं कि आप कैसे मानते हैं कि पालक द्वारा देखभाल परिवार के सदस्यों (दादा–दादी, बच्चों, रिश्तेदारों और अन्य) को प्रभावित करेगा।

C- व्यावसायिकध्रोजगार विवरण (पिछले 5 वर्षों का व्यावसायिक कैरियर विवरण):

पालक पिता				
संगठन	नियोक्ता का विवरण (नाम और पता)	नौकरी का नाम	से	तक

पालक माता				
संगठन	नियोक्ता का विवरण (नाम और पता)	नौकरी का नाम	से	तक

D. वित्तीय स्थिति: (सभी स्रोतों जैसे बचत, निवेश, व्यय और देयताएं और ऋण से संबंधित सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी आय का संक्षिप्त विवरण दें।).....

E. घर और पड़ोस का विवरण: ;(आवास विवरण और पड़ोस के साथ संबंध का वर्णन करें)

1. आपके घर में कितने कमरे हैं और बच्चे के लिए उपलब्ध खेल क्षेत्र का वर्णन करें.....
2. कृपया उस इलाके जिसमें आप निवास करते हैं का वर्णन करें जिसमें उस इलाके से जुड़ा कोई ऐसा पहलू शामिल हो जिसे आप बच्चों के लिए मित्रतापूर्ण मानते हैं.....

F. देखभाल के लिए उचित रवैया और प्रेरणा:

1. कृपया उस टर्म को घेरा लगाएं, जो आप बच्चे को पालक देखभाल में क्यों लेना चाहते हैं, उसकी सबसे अच्छी व्याख्या करता हो, आप एक से अधिक विकल्प को घेरा लगा सकते हैं, यदि लागू हो:
   a. अपने अन्य बच्चों को एक साथी प्रदान करना।
   b. एक बच्चे को खुशनुमा घर उपलब्ध करवाना
   c. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें.....
2. कृपया उस कथन को घेरा लगाएं, जो आप कैसे सोचते हैं कि फोस्टर केयर की व्यवस्था से आपके अन्य बच्चों जीवन में सुधार होगा, की व्याख्या करता हो, आप एक से अधिक को घेरा लगा सकते हैं, यदि लागू हो:
   a. वे कम अकेले होंगे
   b. वे अधिक मिलनसार होना सीखेंगे:
   c. वे अधिक समानुभूति रखने वाले हो जाएंगे
   d. लागू नहीं क्यूंकि मुझे कोई अन्य बच्चे नहीं हैं
   e. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें.....

G. पालक देखभाल के प्रति दादा–दादी/विस्तारित परिवार के सदस्यों, अन्य रिश्तेदारों और अन्य खास लोगों के दृष्टिकोणः
(बच्चे के पालन–पोषण की प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकने वाले अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पालक देखभाल के प्रति राय के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दें).....

H. बच्चे और परिवार में पालन–पोषण के लिए भावी पालक माता–पिता की प्रत्याशित योजनाएँः

1. कृपया वर्णन करें कि आप बच्चे की देखभाल और जिंदगी की अन्य प्रतिबद्धताओं जैसे काम को कैसे संभालेंगे।
2. जब आप काम पर हों या घर से अनुपस्थित हों, तो बच्चे की देखभाल के लिए कौन (नौकर–चाकर, दादा–दादी, आपके पतिध्पत्नी) जिम्मेदार होगा।
3. कृपया पेरेंटिंग को लेकर अपने अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करें।
4. यदि पालक बच्चे को समायोजन में कठिनाइयाँ होती हैं, तो ंपया उन चरणों का वर्णन करें जिन्हें आप परिवार में उसके घुलने–मिलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपनाएंगे?
5. यदि बच्चे को समायोजन में लगातार कठिनाई हो रही है, तो क्या आप पारिवारिक परामर्श का उपयोग करने के लिए तैयार होंगे?
   a. हाँ
   b. नहीं
6. क्या आप पालक बच्चे के महंगे उच्च पेशेवर अध्ययन का समर्थन करने के लिए तैयार होंगे?
   a. हाँ
   b. नहीं

I. तैयारी और प्रशिक्षणः (पालक देखभाल, बच्चे की देखभाल, बच्चों की जरूरतों की देखभाल, आदि और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लालन–पालन को लेकर उनकी क्षमता, प्रशिक्षण औरध्या अनुभव, यदि कोई हो के संबंध में भावी पालक माता–पिता द्वारा भाग लिए गए परामर्श सत्रों के बारे में विवरण दें।)

J. स्वास्थ्य की स्थिति (भावनात्मक और शारीरिक): (आवेदक/आवेदकों के भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का विवरण दें, यदि कोई हो। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी विशेष बीमारी, स्थिति या सिंड्रोम से पीड़ित है, तो परिवार इससे कैसे निबट रहा है और यह किसी भी प्रस्तावित पालक देखभाल को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसका वर्णन करें।)

1. क्या आप या आपका जीवनसाथी किसी मेडिकल समस्या से पीड़ित हैं? यदि हां, तो क्या आप विवरण प्रदान करेंगे?
2. क्या आपका या आपके जीवनसाथी का वर्तमान में एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक द्वारा इलाज किया जा रहा है?
3. क्या आप वर्तमान में डॉक्टरी परामर्श पर कोई दवा ले रहे हैं?
4. क्या वर्तमान में आपके घर में कोई बच्चा/बच्चे मेडिकल समस्या का इलाज करा रहाध्रहे है/हैं?
5. क्या आपके परिवार में सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य और अस्पताल में भर्ती योग्य बीमा है?

भावी पालक माता–पिता के हस्ताक्षर

तारीख

भाग– II: सामाजिक कार्यकर्ता का आकलन रिपोर्ट

(मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उपयोग किया जाएगा)

(टेम्पलेट में भरी गई जानकारी/तथ्यों को एजेंसियों/अधिकारियों द्वारा गोपनीय रखा जाएगा।)

1. तथ्यात्मक मूल्यांकन

i. क्या आपने टेम्पलेट के भाग I में वर्णित तथ्यात्मक सामग्री को सत्यापित किया है?

हाँ/नहीं

ii. क्या आप साक्षात्कारों और घर का दौरा करने के दौरान दस्तावेजों में वर्णित तथ्यों के बारे में संतुष्ट हैं?

हाँ/नहीं

2. मनोवैज्ञानिक आकलनः

2.1 भावी पालक माता–पिता के साथ बातचीत

i. क्या आपने व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से भावी पालक माता–पिता के साथ बातचीत की है?

ii. क्या बच्चे को पालने के लिए भावी पालक माता–पिता अच्छी तरह से तैयार हैं?

2.2 घर का दौरा निष्कर्ष

i. आप भावी पालक माता–पिता के घर कब गए थे? आपके जाने के दौरान कौन–कौन सदस्य उपस्थित थे?

ii. आपने घर जाने के दौरान किससे बातचीत की?

iii. क्या आप किसी पड़ोसीधरिश्तेदार से मिले हैं? बातचीत के बारे में विस्तृत विवरण दें?

iv. क्या घर का वातावरण बच्चे के लिए अनुकूल है?

v. क्या भावी पालक माता–पिता पालक देखभाल के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं?

vi. क्या भावी पालक माता–पिता को देखभाल संबंधी मुद्दों या किसी अन्य मुद्दों के बारे में कोई संदेह है? क्या आपने उनके संदेहों को दूर किया है?

vii. उनकी शंका?

2.3 परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत

i. क्या आपने भावी पालक माता–पिता के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत की है? प्रस्तावित देखभाल पालक के बारे में उनकी क्या राय है? क्या वे पालक देखभाल व्यवस्था के बारे में सकारात्मक हैं?

ii. क्या परिवार के कोई अन्य सदस्य हैं, जिनसे आप बातचीत नहीं कर सके, लेकिन प्रस्तावित पालक देखभाल में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है? यदि हां, तो आपने बातचीत कैसे की? क्या आप उनकी राय लेने की योजना बनाएंगे?

iii. क्या आपने भावी पालक माता–पिता के घर में मौजूद बड़े बच्चेध्बच्चों के साथ बातचीत की है? यदि हाँ, तो ेपया विस्तार से बताएं।

iv. क्या परिवार के सदस्यों की किसी प्रतिकूल टिप्पणी पर आपका ध्यान गया है? यदि हां, तो उन टिप्पणियों का पालक देखभाल प्रक्रिया पर किस हद तक प्रभाव पड़ सकता है?

2.4 वित्तीय क्षमता

i. भावी पालक माता–पिता की वित्तीय स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वे अपने परिवार में एक और सदस्य का स्वागत करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत हैं?

ii. क्या आपने कोई ऐसी वित्तीय स्थिति देखी है जो टेम्पलेट में उजागर नहीं हुई है?

iii. क्या आप उन्हें कोई वित्तीय सहायता देने की सिफारिश करेंगे?

2.5 शारीरिक और भावनात्मक क्षमता

i. क्या भावी पालक माता–पिता एक बच्चे की देखभाल करने के लिए अच्छे शारीरिक और भावनात्मक स्थिति में हैं?

ii. क्या आपने भावी पालक माता–पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ किसी भी तरह के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं को देखा है जो आनेवाले बच्चे के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं? यदि हां, तो विवरण दें।

iii. क्या भावी पालक माता–पिता भावनात्मक रूप से एक बच्चे की देखभाल करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं?

3. फोस्टर देखभाल के लिए सिफारिश

3.1 क्या आप पालक देखभाल के लिए भावी पालक माता–पिता की सिफारिश करते हैं? पालक देखभाल के लिए भावी पालक माता–पिता की सिफारिश करने के लिए अपने विचार और तर्क रखें।

3.2 यदि आप पालक की देखभाल के लिए भावी पालक माता–पिता की सिफारिश नहीं करते हैं, तो ऐसा निर्णय लेने के उचित कारणों का हवाला दें।

हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और आधिकारिक मुहर

अनुलग्नक 3: फॉर्म 33

[नियम 23 (16)]

पालक परिवार/समूह पालक देखभाल संगठन द्वारा शपथ पत्र

मैं/हम.....मकान संख्या के निवासी(यों).....गली संख्या.....ग्राम/नगर.....
जिला.....राज्य ...../.....पालक देखभाल गृह से जुड़े देखभालकर्ता .....
.....

देखभालकर्ता.....,इसके द्वारा घोषित करते हैं कि मैं/हम (बच्चे का नाम).....आयु.....का निम्नलिखित नियम और शर्तों के अधीन बाल कल्याण समिति के आदेशों के तहत प्रभार लेने के लिए तैयार हूँ/हैं:

i. यदि बच्चे का आचरण असंतोषजनक है, तो मैं/हम समिति को सूचित करूँगा/करुँगी/करेंगे।

ii. जब तक वह मेरे प्रभार में रहेगा/रहेगी, मैं/हम उक्त बच्चे के कल्याण और शिक्षा के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगा/करुँगी/करेंगे और उसके रखरखाव के लिए उचित प्रावधान करूँगा/करुँगी/करेंगे।

iii. उसकी बीमारी की स्थिति में, उसे नजदीकी अस्पताल में उचित चिकित्सा मुहैया करवायी जाएगी और इससे संबंधित एक रिपोर्ट एक फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

iv. मैं/हम अपने पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करेंगे।

v. मैं/हम यह सुनिश्चित करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा/करेंगे कि बच्चे को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना न करना पड़े।

vi. मैं/हम समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

vii. जब भी आवश्यकता होगी, मैं/हम समिति के समक्ष उसको प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

viii. यदि बच्चा मेरे/हमारे प्रभार या नियंत्रण से बाहर चला जाता है, तो मैं/हम तुरंत समिति को सूचित करने का वचन देता/देती/देते हूँ/हैं। .....दिनांक.....का दिन

2 गवाहों का हस्ताक्षर और पता

आवेदक का हस्ताक्षर

(मुझसे पहले हस्ताक्षरित) अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति

राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार

द्वितीय तल, अपना घर (ललित भवन के पीछे)
बेली रोड, पटना–23, बिहार
scps-bih@gov.in
0612-2545033

Centre of Excellence
In Alternative Care, India
Safer and stronger families

सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन अल्टरनेटिव केयर (इंडिया)

173, प्रथम तल, जागृति इनक्लेव, दिल्ली–110090
www.canwefoster.org
www.alternativecareindia.org
टोल फ्री नं०: 1800 111 878